# नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
# अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
## अवधि 04/2014 से 03/2016
## भाग–एक

**1 प्रारम्भिक**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/14 से 3/16 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

**अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान निम्न वर्णित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर में कार्यरत्त रहेः–**

**प्रधानः–**

| क्रम संख्या | प्रधान का नाम | तैनाती की अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री दीप कुमार | 1.4.2014 से 17.1.2016 |
| 2 | श्रीमती सलोचना देवी शर्मा | 18.1.2016 से 31.3.2016 |
| **कार्यकारी अधिकारी** | | |
| 1 | श्री विजय कुमार शर्मा | 1.4.2014 से 31.1.2016 |
| 2 | श्री विनोद कुमार शर्मा | 24.2.2016 से 31.3.2016 |

**(ख) अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः–**

| क्रम संख्या | गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | पैरा संख्या | राशि लाखों में |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुदान की अनुपयुक्त राशि | 6 (ख) | 178.27 |
| 2 | चतुर्थ रा0वि0आ0 अनुदान राशि से अनियमित व्यय | 6 (घ) | 313.5 |
| 3 | गृहकर की वसूली योग्य राशि | 8 (क) | 76.48 |
| 4 | दुकानों के किराये की वसूली योग्य राशि | 9 (क) | 40.54 |
| 5 | नई दुकानें आबंटित करने पर बकाया राशि की वसूली | 9 (ख) | 1.17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | दुकानों के किराये में बढौतरी न करने से वित्तीय हानि बारे | 9 (ङ) (i) | 1.99 |
| 7 | सेवा कर का भुगतान न करने बारे | 9 (च) | 5.47 |
| 8 | स्थापना पर अनाधिकृत व्यय | 12 (1) | 29.14 |
| 9 | स्थापना पर अधिक भुगतान | 12 (3) | 1.23 |
| | | 12 (5) | 1.32 |
| 10 | डिपोजिट कार्य के उपयोगिता प्रमाण प्रस्तुत न करने बारे | 13 | 3401.32 |
| 11 | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा परिषद के विरूद्ध आदेश बारे | 16 | 14.36 |
| 12 | परिषद द्वारा लेबर सैस, आयकर व शिक्षा सैस की संविदकारों से कम वसूली | 18 | 0.97 |

## (ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट क"** पर दर्शाई गई है। अंकेक्षण के दौरान यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करने उपरान्त कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निपटारा सम्भव हो सके।

# भाग–दो

## 2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2014 से 03/2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण कार्य सर्वश्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) व श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 27.6.2016 से 23.8.2016 के दौरान हमीरपुर में किया गया। आय तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 3/2015, 3/2016 तथा 4/2014, 1/2016 के लेखाओं का चयन किया गया, जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में समाविष्ट है।

"इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को नगर परिषद हमीरपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रस्तुत न करने पर पाई गई किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।"

## 3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद हमीरपुर के अवधि 04/2014 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹77200/–किया गया है। अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–9 को भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72, दिनांक 23.8.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अनुरोध किया गया तदानुसार, नगर परिषद द्वारा स्टेट बैक ऑफ इन्डिया शाखा हमीरपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 342255, दिनांक 5 सितम्बर 2016 के माध्यम से अंकेक्षण शुल्क ₹77200/–निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–09 को प्रेषित कर दिया गया है।

## 4 वित्तीय स्थिति

**(क)** नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 3/2016 तक की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में दर्शाया गया है।

**वर्ष 2014–2015**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष 1.4.2014 | 35760874.70 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि | 376375160.00 |
| 3 | वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि | 4828227.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय | 17312636.00 |
| 5 | कुल प्राप्त राशि | 434276897.70 |
| 6 | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | 388641805.00 |
| 7 | अन्तशेष 31.3.2015 | 45635092.70 |

**वर्ष 2015–2016**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष 1.4.2015 | 45635092.70 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि | 42989013.00 |
| 3 | वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि | 2125951.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय | 15883015.00 |
| 5 | कुल प्राप्त राशि | 106633071.70 |
| 6 | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | 64612851.00 |
| 7 | **अन्तशेष राशि 31.3.2016** | **42020220.70** |

**(ख) नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के विभिन्न बैंक खातों में दिनाँक 31.3.2016 को अन्तशेष राशियों का विवरण निम्नलिखित हैः–**

| क्र0सं0 | बैंक का नाम | खाता सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 55126074619 | 20966575.45 |
| 2 | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया | 1144 | 13787966.50 |
| 3 | –यथोपरि– | 6280 | 586918.00 |
| 4 | पंजाब नैशनल बैंक | 0211000100148741 | 480307.17 |
| 5 | काँगड़ा को0 ओ0 बैंक | 5301 | 711153.08 |
| 6 | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया | 4077 | 3559740.00 |
| 7 | यूको बैंक | 14441 | 5058.50 |
| 8 | पी0एल0ए0 | 8442 / 102 | 1809873.00 |
| | | **कुल योग** | **₹41907591.70** |

**(ग)** दिनाँक 31.3.2016 को हस्तगत राशि का विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्र0सं0 | दिनांक | विवरण | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.3.2016 | गृहकर से आय | 47880 |

**(घ) बैंक समाधान विवरणिकाः–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष (₹) | 42020220.70 |
| 2 | दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किये गये (विवरण निम्नलिखित है) | (+)543247.00 |

| क्र0सं0 | दिनांक | चैक नं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.3.2016 | 232374 | 10000 |
| 2 | 18.3.2016 | 9893 | 940 |
| 3 | 26.3.2016 | 9900 | 3300 |
| 4 | 31.3.2016 | 9908 | 152530 |
| 5 | 31.3.2016 | 9909 | 225300 |
| 6 | 30.3.2016 | 9902 | 151177 |
| | | | **543247** |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | दिनांक 18.3.2016 को ₹130572 की जगह ₹130575/– जमा किये गये। अतः बैंक में ₹3 ज्यादा जमा हुये | (+)3.00 |
| 4 | कुल राशि | 42563470.70 |
| 5 | दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही में दर्ज आय के चैक जो बैंक में भुनाये नहीं गये विवरण निम्न से है | (–) 152760 |

| क्र0सं0 | दिनांक | चैक नं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.12.2015 | 245158 | 10000 |
| 2 | 3.12.2015 | 245159 | 10000 |
| 3 | 23.3.2016 | 101461 | 3375 |
| 4 | 30.3.2016 | 235363 | 4050 |
| 5 | 31.3.2016 | 249011 | 4050 |
| 6 | 31.3.2016 | 101282 | 3375 |
| 7 | 31.3.2016 | 430888 | 3645 |
| 8 | 31.3.2016 | 09684 | 9450 |
| 9 | 31.3.2016 | 012425 | 2025 |
| 10 | 31.3.2016 | 012424 | 1425 |
| 11 | 31.3.2016 | 606025 | 39864 |
| 12 | 31.3.2016 | 049652 | 60151 |
| 13 | 31.3.2016 | 049651 | 1350 |
| | | **योग** | **₹152760** |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | दिनांक 29.2.2016 को रोकड़ बही पेज नं0 36 में दर्ज अनुदान ₹300000/– जिसे गलती से रोकड़ बही पेज नं0 37 दिनांक 1.3.2016 को दोबारा दर्ज कर दिया गया | (–) 300000 |
| 7 | परिषद के खाता संख्या 7767 में से कर्मचारी भविष्य निधि विभाग द्वारा निकाली गई राशि परन्तु परिषद की रोकड़ बही उक्त राशि का व्यय वाऊचर प्रविष्टि इन्द्राज दर्ज नहीं की गई है | (–) 155239 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | दिनांक 31.3.2016 को हस्तगत राशि | (–) 47880 |
| 9 | कुल राशि | ₹41907591.70 |
| 10 | दिनांक 31.3.2016 को बैंक में जमा राशि | ₹41907591.70 |

## 5 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी फंड की वित्तीय स्थितिः–

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के पैन्शन व ग्रेच्युटी फंड की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ग"** में भी दिया गया है।

| वर्ष | गत शेष | अंशदान | ब्याज से प्राप्त राशि | कुल योग | व्यय | अन्तशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014–15 | 14252 | 2031184 | 1593 | 2047029 | 1949188 | 97841 |
| 2015–16 | 97841 | 1841800 | 1677 | 1971318 | 1808676 | 162642 |
| | दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष | | | | | ₹162642 |
| | दिनांक 31.3.2016 को बैंक बचत खाता संख्या 678 में जमा | | | | | ₹162642 |

दिनांक 31.3.2016 को बैंक बचत खाते के शेष राशि का विवरण

| क्र0सं0 | बैंक का नाम | खाता सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | इलाहाबाद बैंक | 21229268678 | 162642 |

## 6 (क) अनुदानः–

नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक अनुदान राशि की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है। नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशि का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "घ"** में भी दिया गया है।

**वर्ष 2014–15**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष 1.4.2014 | 15630057.00 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि | 376375160.00 |
| 3 | कुल प्राप्त राशि | 392005217.00 |
| 4 | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | 378723109.00 |
| 5 | अन्तशेष राशि (₹) | 13282108.00 |

**वर्ष 2015—16**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष 1.4.2015 | 13282108 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि | 42989013 |
| 3 | कुल प्राप्त राशि (₹) | 56271121 |
| 4 | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | 38443528 |
| 5 | अन्तशेष राशि (₹) | 17827593 |

**6 (ख) दिनाँक 31.3.2016 को अनुदान की ₹178.27 लाख व्यय हेतु शेषः—**

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय व 31.3.2016 को पाये गये अन्तशेष तथा पूर्व में अनुपयुक्त अनुदान राशियों का विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में विस्तार से दिया गया है। वर्ष 2013—14 से पूर्व अवधि के अनुदानों की शेष ₹15630057/—में से वर्ष 2014—15 के दौरान ₹10805229/—व वर्ष 2015—16 के दौरान ₹775000/—व्यय की गई थी ₹4049828/— दिनांक 31.3.2016 तक व्यय नहीं की गई थी।

वर्ष 2014—15 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से ₹376375160 अनुदान के रूप प्राप्त हुई जिसमें से ₹367917880/— वर्ष 2014—15 के दौरान व ₹8307280/— वर्ष 2015—16 के दौरान व्यय की गई तथा ₹150000/—31.3.2016 को अनुपयुक्त थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2015—16 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अनुदान के रूप में ₹42989013/— प्राप्त हुई जिसमें से वर्ष 2015—16 के दौरान ₹29361248/—व्यय की गई तथा ₹13627765/—दिनांक 31. 3.2016 को अनुपयुक्त थी।

उपरोक्त विवरणानुसार 31.3.2016 को ₹17827593 (4049828+150000+13627765) अनुपयुक्त थी। अतः अनुदान राशियों को सम्बन्धित वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शेष राशियों को अविलम्ब नियमानुसार व्यय किए जाने बारे आवश्यक कार्रवाई की जाए अन्यथा अनुपयुक्त राशियों को सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

6 **(ग)** नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक अनुदान राशि UIDSSMT की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है। अनुदान का विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "च"** में भी दिया गया है।

**वर्ष 2014–15**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रारम्भिक शेष 1.4.2014 | 2510366 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त आय | शून्य |
| 3 | कुल राशि | 2510366 |
| 4 | वर्ष के दौरान किया गया व्यय | 70894 |
| 5 | अन्तशेष (₹) | 2439472 |

**नोटः–** परिषद द्वारा UIDSSMT की रोकड़ बही को दिनांक 31.12.2014 को बंद करके अन्तशेष ₹2439472/– को परिषद की मुख्य रोकड़ बही में हस्तांतरित/दर्ज कर दिया गया है जिसकी पुष्टि मुख्य रोकड़ बही पेज संख्या 105 से अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

6 **(घ) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशि से ₹313.54 लाख का अनुचित व्ययः–**

अंकेक्षण के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान राशि एवं उससे किए गये व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान चतुर्थ रा0वि0आ0 के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार ₹50378481/–की अनुदान राशि प्राप्त हुई थीः–

| क्र0सं0 | प्राप्ति की तिथि | पत्र संख्या | प्राप्त राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.4.2014 | UD-H(c)1/2013-651-678 दिनांक 10.4.2014 | 5497215 |
| 2 | 31.8.2014 | खाते में आन लाईन जमा | 21632824 |
| 3 | 28.5.2014 | 4D-H(c)1/2015 दिनांक 28.5.2015 | 22668520 |
| 4 | 6.11.2015 | 4D-H(c)1/2015-15449 दिनांक 6.11.2015 | 579922 |
| | | **योग** | **50378481** |

उपरोक्त प्राप्त समस्त अनुदानों का उपयोग वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान कर लिया गया था। अनुदान जारी करने से सम्बन्धित उपरोक्त पत्रों के अनुसार अनुदान की प्राप्त राशि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु किया जाना अपेक्षित था।

(i) Maintanance of Assets (Like streets, street lighting, Public toilets, Parks, office building, town halls, drainage etc.)

(ii) Performance of statutory and delegated function

(iii) Honorarium to elected representative

नगर परिषद द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की प्राप्त अनुदान का उपयोग वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु किया गया था जिसका मदवार विवरण निम्न प्रकार से है तथा विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "छ"** पृष्ठ 1 से 6 पर दिया गया है।

| क्र0सं0 | व्यय का विवरण | राशि ₹ |
|---|---|---|
| 1 | सेवा निवृत कर्मचारियों की पैन्शन का भुगतान | 326403 |
| 2 | कर्मचारियों के पैन्शन एवं ग्रेच्युटी अंशदान का भुगतान | 580770 |
| 3 | सेवा निवृत कर्मचारियों की छुटिटयों की देय राशि का भुगतान | 325854 |
| 4 | सेवा निवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान | 479665 |
| 5 | कर्मचारियो ंके देय ई0पी0एफ0 का भुगतान | 110775 |
| 6 | कर्मचारियो ंके वेतन व भत्तों का भुगतान | 23028757 |
| 7 | कर्मचारियो के सी0पी0एफ0 का भुगतान | 3896338 |
| 8 | कर्मचारियों के पैन्शन व ग्रेच्युटी अंशदान का भुगतान | 2605842 |
| | **कुल अनियमित व्यय** | **31354404** |

सरकार द्वारा जारी अनुदान को नगर परिषद को विकास कार्यों एवं अनुदान की शर्तों के अनुसार व्यय न करके अन्य उद्देश्यों हेतु अनुदान का उपयोग करना एक गम्भीर अनियमितता है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अनुदान से उपरोक्त विवरणानुसार किए गये अनुचित एवं अनियमित ₹31354404/– के व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से किए गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उपरोक्त राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि सम्बन्धित अनुदान में जमा की जाए। उपरोक्त गम्भीर मामला निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

## 7 सावधिक निवेशः–

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा योजना में निवेश नहीं की गई थी जबकि 31.3.2016 को निधि के विभिन्न बचत खातों में ₹419 लाख की बड़ी राशि शेष जमा थी। इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है

कि भविष्य में इतनी बड़ी राशि को बचत खाते में जमा रखने की अपेक्षा परिषद की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये अल्प व दीर्धकालीन सावधिक जमा योजना में निवेशित करने की सम्भावनाओं को तलाशा जाए ताकि निधि से सम्बन्धित गतिविधियों को प्रभावित किए बिना ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

## 8 (क) गृहकर की ₹76.48 लाख वसूली योग्य शेषः—

दिनाँक 31.3.2016 तक गृहकरदाताओं से ₹7648894/—की वसूली शेष थी। इस राशि का विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है। नगर परिषद द्वारा गृहकर की बकाया राशि को नियमित रूप से वसूल करने हेतु कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परिषद की वित्तीय स्थिति तथा विकासात्मक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही है। नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87 व 89 में दिये गये प्रावधानों एवं निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू0एल0 बी (ए) 1/87—9237—9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करके गृहकर की शत/प्रतिशत वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुये गृहकर की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

## (ख) ₹35.21 लाख की निगमों एवं सरकारी विभाग से गृहकर की वसूली न करनाः—

नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जिसका विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है निम्न निगमों एवं सरकारी विभाग से गृहकर की वसूली करने हेतु परिषद द्वारा मांग पत्र जारी किये गये थे लेकिन सम्बन्धित विभागों द्वारा गृहकर की राशि जमा नहीं करवाई गई थी।

| क्र0सं0 | निगम/विभाग का नाम | गृहकर की दिनांक 31.3.2016 तक वसूली योग्य राशि (₹) |
|---|---|---|
| 1 | हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लि0 | 1060838 |
| 2 | हि0प्र0 पथ परिवहन निगम | 2353384 |
| 3 | खण्ड विकास अधिकारी को किराए पर दी गई दुकानों का किराया | 107619 |
| | **योग** | **₹3521841** |

उपरोक्त राशि की सम्बन्धित विभागों से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त नगर परिषद सीमा क्षेत्र में स्थित अन्य निगमों/बोर्डों के भवनों पर भी गृहकर का कर निर्धारण करके वसूली सुनिश्चित की जाए।

### (ग) गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि गृहकर का निर्धारण निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या यू0एल0बी0 एच (सी) (9) 2/91 दिनांक 19.02.1997 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया। गृहकर निर्धारण रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि self-occupied भवन के प्रकरणों में गृहकर का निर्धारण, निर्धारण कर्ता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार वार्षिक किराये मूल्य पर किया गया, जबकि यह हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 2 उपधारा (1) (c) के अनुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार के प्रकरणों में वार्षिक किराया मूल्य (Annual Rented Value) के निर्धारण हेतु क्या आधार माना गया तथा जिन नियमों के अन्तर्गत इस निधि से निर्धारण किया गया का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा निदेशक शहरी विकास के उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार इसका पुनः निर्धारण करके तदानुसार वसूली सुनिश्चित की जाए।

### 9 (क) दुकानों/स्टालों के किराये ₹40.54 लाख की वसूली शेष हेतुः–

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा किराये पर दी गई दुकानों/स्टालों से किराये के रूप में **परिशिष्ट "झ"** के अनुसार ₹4054044/–वसूली हेतु शेष थी। किराये की वसूली हेतु कार्यकारी अधिकारी द्वारा कोई भी नोटिस दुकानदारों को जारी नहीं किया गया था। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित दुकानदारों को नोटिस जारी न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वालों दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए। इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(ख) दुकानदारों को नई दुकानें आंबटित करने पर बकाया ₹1.17 लाख की वसूली न करनाः–**

किराये रजिस्टर की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा कुछ दुकानदारों को नई दुकानें आंबटित की गई थी परन्तु परिषद द्वारा इन दुकानदारों से पुरानी दुकानों के किराये की बकाया ₹116889/– की वसूली नहीं की गई है। अतः उपरोक्त राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाये तथा अनुपालना से विभाग को अवगत करवाया जाये।

| **क्र0सं0** | **दुकान नं0** | **नाम दुकानदार** | **किराया प्रतिमाह** | **अंकेक्षण अवधि 3/2014 तक बकाया राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | श्री मिहान सिंह | 125 | 400 |
| 2 | 35/1 | श्री एस0पी0 शर्मा | 125 | 1200 |
| 3 | 37 | श्री भूपिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द | 200 | 6400 |
| 4 | 38 | श्री देव राज सुपुत्र श्री मुनशी राम | 900 | 35200 |
| 5 | 39 | श्री रोशन लाल सुपुत्र श्री तुलसी राम | 750 | 11189 |
| 6 | 39/1 | श्री रत्न चन्द सपुत्र श्री महन्त राम | 750 | 47000 |
| 7 | 40 | श्री बेली राम सुपुत्र श्री परस राम | 600 | 15500 |
| | | | **कुल योग** | **₹116889** |

**(ग) दुकानें खाली कर चुके दुकानदारों से किराये की बकाया ₹0.23 लाख की वसूली न करने बारेः–**

किराये रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा कुछ दुकानदारों से दुकानें खाली करवाई गई थी लेकिन उनसे किराये के बकाया ₹22960/–की वसूली अंकेक्षण अवधि तक नहीं की गई थी। अतः उक्त राशि की वसूली हेतु परिषद द्वारा कार्रवाई न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा किराये की बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाने सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

| क्र0सं0 | दुकान नं0 | नाम दुकानदार | मासिक किराया | अवधि 3/2016 तक किया बकाया राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | श्री पृथ्वी चन्द | — | 750 |
| 2 | 11 | श्री मस्त राम | 500 | 2500 |
| 3 | 13 | श्री ललित गुप्ता | 280 | 3360 |
| 4 | 15 | श्री धर्म सिंह सुपुत्र श्री ऊधों राम | 150 | 900 |
| 5 | 18 | श्री सतीश कुमार | — | 5450 |
| 6 | 21 | श्री प्रदीप कुमार | 500 | 10000 |
| | | | **कुल योग** | **₹22960** |

**(घ) लीज/पटटे पर दी गई दुकानों/भवनों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः—**

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के अंकेक्षण के दौरान किराया रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद सीमा क्षेत्र में सरकार/प्रशासन द्वारा दुकानों/भवनों को लीज/पटटे पर दिया गया था। इन भवनों/दुकानों का किराया किरायेदारों द्वारा परिषद निधि में जमा करवाया जाता है। जाँच में पाया गया कि इन भवनों/दुकानों का वार्षिक किराया काफी कम है तथा पिछले 20 वर्षों से इसमें बढ़ौतरी नहीं की गई है परन्तु परिषद द्वारा दुकानों/भवनों के किराये के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं चल सका कि प्रशासन द्वारा यह भवन/दुकानें किन शर्तों/अनुबन्धों, लीज पर आंबटित की गई। अतः इन भवनों/दुकानों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए आगामी अंकेक्षण में लीज/पटटे पर दी गई दुकानों/भवनों के किराये से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | दुकान नं0 | नाम दुकानदार | किराया (₹) वार्षिक |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | श्री अमर नाथ सुपुत्र श्री शाली ग्राम | 100 |
| 2 | 2 | श्रीमती ईलाचू देवी | 60 |
| 3 | 3 | श्री सुभाष चन्द सुपुत्र श्री कपूर चन्द | 45 |
| 4 | 4 | श्री सोहन लाल सुपुत्र श्री किरपा राम | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | श्री जिया लाल सुपुत्र श्री रोशन लाल | 25 |
| 6 | 6 | श्री परस राम सुपुत्र श्री ख्याली राम | 5 |
| 7 | 7 | श्री पदम नाथ सुपुत्र श्री ढेरू राम | 2.5 |
| 8 | 8 | श्रीमती मीना कुमारी पत्नी श्री रमेश कुमार | 50 |
| 9 | 9 | श्री दीवान चन्द सुपुत्र श्री रूलिया राम | 5 |

**(ङ) (i) दुकानों के किराये के इकरारनामों का नवीनीकरण व नियमानुसार किराया बढ़ौतरी न करने से परिषद को ₹1.99 लाख की वित्तीय हानि बारेः—**

नगर परिषद हमीपुर के दुकानों के किराये इकरारनामों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार परिषद द्वारा दुकानों के किराये में नियमानुसार बढ़ौतरी न करने से परिषद को ₹199367/—की वित्तीय हानि हुई जबकि आयुक्त एवं सचिव (शहरी विकास विभाग) हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0—एफ (6)—1/85 दिनांक 21.10. 2000 के नियम 5 (क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष के पश्चात किराये में 10**%** की बढ़ौतरी का प्रावधान तथा दुकानदारों से नियमानुसार अनुबन्ध/इकरारनामों बनाने का प्रावधान है। अतः नगर परिषद द्वारा किराये के अनुबन्ध का नवीनीकरण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं निदेशालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नये इकरारनामे तैयार करके व किराये में बढ़ौतरी करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0 सं0 | दुकान नं0 | नाम दुकानदार | किराया जो प्रतिमाह प्राप्त किया जा रहा है | अनुबन्ध के अनुसार जिस अवधि का बढ़ा हुआ किराया प्राप्त किया जाना था | जितना किराया प्रतिमाह प्राप्त किया जाना था (₹) | प्रतिमाह कम प्राप्ति (₹) | माह | कुल कम प्राप्त (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | सहायक अभियन्ता हि0प्र0 विद्युत बोर्ड हमीरपुर | 5990 | 7/2014 से 3/2016 | 6590 | 600 | 21 | 12600 |
| 2 | 8 | श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री मान सिंह | 1100 | 10/2015 से 3/2016 | 1210 | 110 | 6 | 660 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | श्री विशाल पठानिया सुपुत्र श्री बलंवत सिंह | 4750 | 6/2015 से 3/2016 | 5225 | 475 | 10 | 4750 |
| 4 | 27/1 | श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री सुरेश डोगरा | 1100<br>1100 | 1/2011 से 12/2015<br>1/2016 से 3/2016 | 1210<br>1331 | 110<br>231 | 60<br>3 | 6600<br>693<br>7293 |
| 5 | 28/2 | श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री प्यारे चन्द | 1600 | 12/2011 से 3/2016 | 1760 | 160 | 52 | 8320 |
| 6 | 61 | श्रीमती सुमन नंदा पत्नी श्री संदीप नंदा | 5300 | 3/2014 से 3/2016 | 5830 | 530 | 25 | 13250 |
| 7 | 29 | श्री दीपक कुमार सुपुत्र श्री रामेश्वर | 1600 | 12/2011 से 3/2016 | 1760 | 160 | 52 | 8320 |
| 8 | 2 | श्री गंगा राम सुपुत्र श्री मोहन सिंह | 550 | 5/2014 से 3/2016 | 605 | 55 | 23 | 1265 |
| 9 | 3 | श्री कर्म चन्द सुपुत्र श्री गंगा राम | 650 | 5/2014 से 3/2016 | 715 | 65 | 23 | 1495 |
| 10 | 4 | श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री सुख राम | 1180<br>1180 | 10/2010 से 9/2015<br>10/2015 से 3/2016 | 1300<br>1430 | 120<br>250 | 60<br>6 | 7200<br>1500 |
| | | | | | | | | 8700 |
| 11 | 9 | श्री कुलदीप शर्मा सुपुत्र श्री भगवान दास | 1920<br>1920 | 10/2010 से 9/2015<br>10/2015 से 3/2016 | 2112<br>2323 | 192<br>403 | 60<br>6 | 11520<br>2418<br>13938 |
| 12 | 5 | श्री केहर सिंह सुपुत्र श्री भगत राम | 660<br>660 | 10/2010 से 9/2015<br>10/2015 से 3/2016 | 726<br>799 | 66<br>139 | 60<br>6 | 3960<br>834<br>4794 |
| 13 | 9 | श्री राजेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री ज्ञान चन्द | 15700<br>15700 | 10/2010 से 9/2015<br>10/2015 से 3/2016 | 17270<br>18997 | 1570<br>3297 | 60<br>6 | 94200<br>19782<br>113982 |
| | | | | | | | **कुल** | **₹199367** |

**(iii)** अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक दुकानों के किराये के अनुबन्धों का नवीनीकरण परिषद द्वारा नहीं किया गया का विवरण निम्नलिखित हैः–

| क्र0सं0 | विवरण | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | दुकान नं0 1 से 7 | मुख्य बाजार हमीरपुर |
| 2 | दुकान नं0 1 से 50 | बस स्टैंड हमीरपुर |
| 3 | दुकान नं0 1 से 16 | (पक्का परों) हमीरपुर |
| 4 | दुकान नं0 29, 36, 48 / 51 | मुख्य बाजार हमीरपुर |

## (च) किराये की प्राप्त आय पर ₹5.47 लाख के सेवाकर का भुगतान न करनाः–

सेवाकर अधिनियम के अनुसार किराये की प्राप्त आय पर केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान किया जाना अपेक्षित है लेकिन नगर परिषद हमीरपुर द्वारा वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान किराये की प्राप्त आय पर निम्नविवरणानुसार देय सेवाकर ₹547069 / – का केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को भुगतान नहीं किया गया था।

| वर्ष | किराये की प्राप्त राशि | सेवाकर दर | सेवाकर की भुगतान योग्य राशि |
|---|---|---|---|
| 2014–15 | 1861482 | 12.36% | 230079 |
| 2015–16 | 2186138 | 14.50% | 316990 |
| | | **जोड़** | **547069** |

सेवाकर अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग को सेवाकर का भुगतान न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सेवाकर की उपरोक्त भुगतान योग्य देय राशि का शीघ्र सम्बन्धित विभाग को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त सेवाकर की देय राशि का सम्बन्धित विभाग को समय पर भुगतान न करने पर सरकारी प्राप्तियों का दुरूपयोग किया गया है। सरकारी प्राप्तियों को समय पर जमा करने के कारण यदि केन्द्रीय आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा कोई दण्ड (Panality) लगाया जाता है तो उस परिस्थिति में सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अतः उपरोक्त देय सेवाकर की राशि का सम्बन्धित विभाग को भुगतान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में भी सेवाकर का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**10 योग में गलत गणना के कारण रसीदों से प्राप्त ₹17335/–की आय को रोकड़ बही में कम लेखाबद्ध करने बारेः–**

अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक के दौरान विभिन्न मदों से सम्बन्धित रसीदों व अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार ₹17335/–योग में गलत गणना के कारण रोकड़ बही में कम लेखाबद्ध की गई। अंकेक्षण द्वारा उक्त मामला सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 59 दिनांक 5.7.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के समक्ष लाया गया। परिषद द्वारा इस प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त ₹17335/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों/प्रभारियों से रसीद संख्या 7/724 दिनांक 28.7.2016 द्वारा कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आन्तरिक निरीक्षण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाये ताकि इस प्रकार की अनियमितता पर रोक लगाई जा सके।

**(I) गृहकर**

| क्र0सं0 | दिनांक | प्राप्त गृहकर रसीद संख्या | रोकड़ बही में दर्ज (₹) | वास्तविक (₹) | अन्तर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3.2015 | 18/512 से 50/512<br>1/513 से 42/513 | 170167 | 170267 | 100 |
| 2 | 26.3.2015 | 11/529 से 50/529<br>1/530 से 28/530 | 157841 | 157871 | 30 |
| 3 | 30.3.2016 | 42/678 से 50/678<br>1/679 से 50/679<br>1/680 से 50/680<br>1/681 से 50/681<br>1/682 से 33/682 | 411278 | 416333 | 5055 |
| 4 | 31.3.2016 | 27/686 से 50/686<br>1/687 से 50/687,<br>1/688 से 29/688 | 242069 | 242819 | 750 |
| | | | | **योग** | **₹5935** |

**(II) तहबाजारी**

| क्र0सं0 | दिनांक | तहबाजारी रसीद संख्या | तहबाजारी से वसूल की गई (₹) | रोकड़ बही में दर्ज (₹) | अन्तर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1.2015 | 134/104 से 153/104 | 6000 | 5400 | 600 |
| 2 | 6.5.2015 | 303/100 से 341/100 | 21400 | 15800 | 5600 |
| 3 | 6.6.2015 | 41/101 से 69/101 | 9000 | 8800 | 200 |
| 4 | 11.6.2015 | 100/101 से 105/101 | 1600 | 1400 | 200 |
| 5 | 4.7.2015 | 131/101 से 142/101 | 4400 | 2600 | 1800 |
| 6 | 6.8.2015 | 68/102 से 90/102 | 6400 | 5800 | 600 |
| 7 | 7.12.2015 | 89/104 से 106/104 | 6200 | 5200 | 1000 |
| 8 | 10.3.2016 | 117/105 से 134/105 | 3600 | 2800 | 800 |
| | | | | योग | ₹10800 |

**(iii) फुटकर**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.2.2016 | 25/599 से 32/599 | 600 | – | 600 |
| | | | | योग | ₹17355 |

## 11 निर्धारित दर पर लाईसैन्स फीस प्राप्त न करने के ₹13555/– हानि बारेः–

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 तक लाईसैन्स फीस से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि परिषद द्वारा निर्धारित दरो ंपर लाईसैन्स फीस की वसूली न करने पर निम्नविवरणानुसार ₹13555/–की हानि हुई। अंकेक्षण द्वारा इस सम्बन्ध अंकेक्षण अधियाचना सहायक नियन्त्रक ले0प0 59 कैम्प दिनांक 25.7.2016 द्वारा यह मामला परिषद के ध्यानार्थ लाया गया। इस सम्बन्ध में जाँच में पाया गया कि परिषद के प्रस्ताव संख्या 443/08 दिनांक 30.8.2008 द्वारा वर्ष 2009–10 से लाईसैन्स फीस की नई दरों के अनुसार वसूली का प्रस्ताव बैठक में पारित हुआ परन्तु परिषद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लाईसैन्स फीस की वसूली नहीं की गई। अतः निर्धारित दरो ंपर लाईसैन्स फीस की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अपेक्षित राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | दिनांक | फर्म का नाम | व्यवसाय | अवधि जिस हेतु लाईसैन्स बनाया गया | लाईसैन्स नं0 | प्राप्त (₹) | निर्धारित दरों के अनुसार वसूली योग्य (₹) | अन्तर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.4.14 | सुरेन्द्र सिंह | रेडीमेट | 2007–08 से 2014–15 | 1/19 | 640 | 925 | 285 |
| 2 | 4.4.14 | दलवीर परमार | संगीत से सम्बन्धित वस्तुऐं | 2012–13 से 2014–15 | 3/19 | 365 | 465 | 100 |
| 3 | 4.4.14 | जीवन कुमार | करयाना | 2012–13 से 2014–15 | 8/19 | 365 | 465 | 100 |
| 4 | 7.4.14 | रमेश चन्द | मिठाई विक्रेता | 2010–11 से 2014–15 | 14/19 | 475 | 775 | 300 |
| 5 | 16.4.14 | जगननाथ | जनरल स्टोर | 2005–06 से 2014–15 | 27/19 | 680 | 930 | 250 |
| 6 | 13.5.14 | धनीराम | मनियारी | 2012–13 से 2014–15 | 38/19 | 365 | 465 | 100 |
| 7 | 19.6.14 | प्रदीप कुमार | चाय | 2011–12 से 2014–15 | 46/19 | 420 | 620 | 200 |
| 8 | 8.7.14 | पवन कुमार | चाय | 2012–13 से 2014–15 | 51/19 | 365 | 465 | 100 |
| 9 | 16.7.14 | मदन कुमार | नाई | 2009–10 से 2014–15 | 52/19 | 530 | 930 | 400 |
| 10 | 3.11.14 | मनोज कुमार | टैन्ट हाऊस | 2014–15 | 57/19 | 255 | 505 | 250 |
| 11 | 31.1.15 | मै0 माँ सरस्वती ऑटो सैन्टर | आटो वर्कस | 2005–06 से 2015–16 | 78/19 | 900 | 1080 | 180 |
| 12 | 5.2.15 | कुलदीप सिंह | दन्त विशेषज्ञ | 2015–16 | 06/20 | 250 | 500 | 250 |
| 13 | 7.2.15 | मनोज कुमार | टैन्ट हाऊस | 2015–16 | 22/20 | 250 | 500 | 250 |
| 14 | 10.2.15 | सुशील कुमार | ट्रेडिंग कम्पनी | 2015–16 | 53/20 | 250 | 500 | 250 |
| 15 | 19.2.15 | देशराज | ज्वैलर्ज (सुनियार) | 2010–11 से 2015–16 | 54/21 | 625 | 925 | 300 |
| 16 | 20.2.15 | मोहिन्द्र कुमार | दवाई विक्रेता | 2015–16 | 69/21 | 250 | 500 | 250 |
| 17 | 24.2.15 | राजेश कुमार | जनरल स्टोर | 2012–13 से 2015–16 | 90/21 | 460 | 615 | 155 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25.2.15 | जगदीश चन्द | जनरल स्टोर | 2007–08 से 2015–16 | 11 / 22 | 730 | 1080 | 350 |
| 19 | 26.2.15 | लक्ष्मी दत्त | जनरल स्टोर | 2011–12 से 2015–16 | 33 / 22 | 570 | 770 | 200 |
| 20 | 27.2.15 | डा0एल0आर0 शर्मा | चिकित्सालय (क्लीनिक) | 2009–10 से 2012–13 | 43 / 22 | 1020 | 2020 | 1000 |
| 21 | 27.2.15 | डा0 अँजली सिंह | (क्लीनिक) | 2009–10 से 2012–13 | 44 / 22 | 1020 | 2020 | 1000 |
| 22 | 3.3.15 | रणवीर सिंह | टैन्ट हाऊस | 2015–16 | 91 / 22 | 250 | 500 | 250 |
| 23 | 4.3.15 | मिलाप चन्द | ढ़ाबा | 2010–11 से 2012–13 | 17 / 23 | 165 | 465 | 300 |
| 24 | 7.3.15 | केहर सिंह | करियाना | 2008–09 से 2015–16 | 46 / 23 | 830 | 1080 | 250 |
| 25 | 19.3.15 | शशी पाल | क्लीनिक | 2015–16 | 31 / 24 | 250 | 500 | 250 |
| 26 | 19.3.15 | हरदीप | क्लीनिक | 2015–16 | 49 / 24 | 250 | 500 | 250 |
| 27 | 20.3.15 | राज कुमार अरूण कुमार | जनरल स्टोर | 2009–10 से 2011–12 | 71 / 24 | 165 | 465 | 300 |
| 28 | 21.3.15 | निदेश कुमार | बूट हाऊस | 2009–10 से 2011–12 | 24 / 25 | 165 | 465 | 300 |
| 29 | 21.3.15 | जोगिन्द्र कुमार | बूट हाऊस | 2009–10 से 2012–13 | 26 / 25 | 220 | 620 | 400 |
| 30 | 21.3.15 | अजय चौधरी | जनरल स्टोर | 2009–10 से 2011–12 | 29 / 25 | 165 | 465 | 300 |
| 31 | 23.3.15 | राजेश गौतम | पुस्तक विक्रेता | 2010–11 से 2015–16 | 44 / 25 | 725 | 925 | 200 |
| 32 | 30.3.15 | कुलदीप चन्द | जूते विक्रेता | 2009–10 से 2015–16 | 47 / 26 | 835 | 1080 | 245 |
| 33 | 31.3.15 | सुरेन्द्र कुमार | जनरल स्टोर | 2011–12 से 2015–16 | 63 / 26 | 525 | 770 | 245 |
| 34 | 31.3.15 | सतीश कुमार | जनरल स्टोर | 2009–10 से 2015–16 | 64 / 26 | 780 | 1080 | 300 |
| 35 | 4.4.15 | प्रेम ठाकुर | रेडीमेड गारमेन्टस | 2009–10 से 2015–16 | 80 / 26 | 680 | 1085 | 405 |
| 36 | 7.4.15 | संजय कुमार | करियाना | 2009–10 से 2015–16 | 89 / 26 | 685 | 1085 | 400 |
| 37 | 16.6.15 | सुरेश कुमार | ज्वैलर्स | 2009–10 से 2015–16 | 16 / 27 | 685 | 1085 | 400 |
| 38 | 8.7.15 | मीना कुमारी | ब्यूटी पार्लर | 2009–10 से 2015–16 | 16 / 27 | 685 | 1085 | 400 |
| 39 | 27.11.15 | सुख राम | दर्जी | 2008–09 से 2014–15 | 39 / 27 | 685 | 930 | 245 |
| 40 | 8.3.16 | कुलदीप सिंह | जनरल स्टोर | 2013–14 से 2016–17 | 66 / 28 | 565 | 615 | 50 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9.3.16 | किशोर चन्द शर्मा | स्टेशनरी | 2009—10 से 2016—17 | 82/28 | 835 | 1235 | 400 |
| 42 | 23.3.16 | भगवान दास | बिजली के सामान सम्बन्धी विक्रेता | 2008—09 से 2016—17 | 35/31 | 890 | 1235 | 345 |
| 43 | 28.3.16 | सुरेश चन्द | वस्त्र विक्रेता | 2009—10 से 2016—17 | 25/33 | 935 | 1235 | 300 |
| 44 | 28.3.16 | हरदीप सिंह | दंत विशेषज्ञ | 2016—17 | 34/33 | 250 | 500 | 250 |
| 45 | 29.3.16 | मनोज कुमार | टैन्ट हाऊस | 2016—17 | 78/33 | 250 | 500 | 250 |
| 46 | 29.3.16 | सचिन शर्मा | प्रयोगशाला | 2016—17 | 96/33 | 250 | 500 | 250 |
| | | | | | | | कुल | ₹13555 |

**12 (1) स्थापना पर अनाधिकृत रूप से ₹29.14 लाख का अधिक व्ययः—**

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 53 (1) तथा निदेशक शहरी विकास के कार्यालय पत्र संख्या यू0एल0बी0—एच (ए) 1—87/9237—84 दिनांक 20.6.2001 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नगर परिषदों में संस्थापना पर कुल व्यय का 1/3 भाग व्यय करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु नगर परिषद हमीरपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संस्थापना पर निम्न विवरणानुसार ₹2914047/—का निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किया गया है।

| वर्ष | कुल व्यय | आपेक्षित अधिकृत 1/3rd संस्थापना व्यय | वास्तविक संस्थापना व्यय | निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 2014—15 | 48510055 | 16170018 | 18782313 | 2612295 |
| 2015—16 | 64612851 | 21537617 | 21839369 | 301752 |
| | **निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की गई** | | | **₹2914047** |

अतः स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की राशि को सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**(2) विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नई सुनिश्चित जीविकास प्रगतिशील योजना (4, 9, 14) में वेतन वृद्धि व उच्च्य ग्रेड वेतन का अनियमित लाभ प्रदान करने बारेः—**

हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग (वेतन परिशोधन विभाग) के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) (बी) (7)—59/2010 दिनांक 09.08.2012 के पैरा 4 (बी) व पैरा 4 (आई0) में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार 4, 9, 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के पश्चात नई सुनिश्चित

जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर कर्मचारियों के पक्ष में अतिरिक्त वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड पे प्रदान की जानी अपेक्षित थी तथा उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिए वही प्राधिकारी सक्षम है जो कर्मचारियों की प्रमोशन करने में सक्षम है।

शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या UD-B(1)-1/2010 Part III दिनांक 28.01. 2015 द्वारा नगर परिषद/नगर पंचायत के कुछ कर्मचारियों की सेवायें नगर परिषद स्तर की, की गई थी तथा शहरी विकास विभाग की अधिसूचना संख्या UD-B(1)-1/2010 Part III दिनांक 4.4.2015 द्वारा नगरपालिकाओं को नगर पालिका स्तर (केड़र) के कर्मचारियों की Appointing Authority घोषित किया गया था।

उपरोक्त अधिसूचनाओं के अनुसार दिनांक 28.1.2015 से पूर्व नगर परिषदों में कार्यरत्त कर्मचारियों की सेवायें राज्य स्तर (State cader) की थी तथा 4.4.2015 से पूर्व नगर पालिकाओं में कार्यरत्त  कर्मचारियों की Appointing Authority नगर पालिकायें नहीं थी जिसे के अनुसार 4.4.2015 से पूर्व देय सुनिश्चित जीविका प्रगतीशील योजना (4, 9, 14) से सम्बन्धित समस्त मामले शहरी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाने अपेक्षित थे।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद हमीरपुर के कर्मचारियो ंका सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना (4, 9, 14) के अन्तर्गत सेवा पुस्तिकाओं में वेतन निर्धारित उन्हें माह 6/2015 से वेतन के साथ बढ़े हुये वेतन का भुगतान किया था तथा माह 9/2012 से 31.5.2015 तक बकाया राशि का भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ञ"** पर दिया गया है। सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना से सम्बन्धित लाभ प्रदान करने हेतु कोई भी कार्यालय आदेश किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं किए गये थे न ही सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई थी सेवा पुस्तिकाओं में सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु किए गये वेतन निर्धारण को किसी भी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/सत्यापित नहीं किया गया था।

नगर परिषद हमीरपुर के उपरोक्त **परिशिष्ट "ञ"** में वर्णित कर्मचारियों को 4, 9, 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर, सरकार द्वारा जारी उपरोक्त वर्णित दिशा निर्देशों के विपरीत अतिरिक्त वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड पे, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं वांछित औचारिकताओं को पूर्ण किए बिना प्रदान करने बारे नियमों के अन्तर्गत औचित्य स्पष्ट किया जाए।

इसके अतिरिक्त सुनिश्चित जीविका प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों को 4, 9, 14 वर्ष का सेवाकल पूर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि व आगामी वेतनमान प्रदान करने बारे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये अन्यथा अनियमित रूप से सुनिश्चित प्रगतिशील योजना (4, 9, 14) के अन्तर्गत निर्धारित किए गये वेतन के फलस्वरूप अनियमित रूप से किए जा रहे भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

**(3) ₹1.24 लाख का अधिक भुगतानः—**

उपरोक्त पैरे में दर्शाये गये कर्मचारियों को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत (4, 9, 14) का लाभ प्रदान करने पर उन्हें दिनांक 9.8.2012/1.9.2012 से दिनांक 20.6.2015 तक बकाया राशि का भुगतान वाउचर संख्या 427 दिनांक 20.6.2015 द्वारा किया गया था। बकाया राशि की गणना/भुगतान करते समय कुछ कर्मचारियों का (Drawn Salary) प्राप्त वेतन, वास्तविक प्राप्त वेतन से कम दर्शाया गया था जिसके फलस्वरूप इन कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹123503/—का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ट" (पृष्ठ 1 से 4)** पर दिया गया है।

| **क्र0सं0** | **कर्मचारी का नाम/पद** | **अधिक भुगतान राशि** |
|---|---|---|
| 1 | श्री वकील सिंह, ड्राईवर | 14626 |
| 2 | श्री सुशील कुमार, ड्राईवर | 17426 |
| 3 | श्री बालक राम सेवादार | 30034 |
| 4 | श्रीमती शामा देवी सफाई कर्मचारी | 14640 |
| 5 | श्री राकेश कुमार सफाई कर्मचारी | 14640 |
| 6 | श्रीमती कुन्ता देवी सफाई कर्मचारी | 14640 |
| 7 | श्रीमती उर्मिला देवी कनिष्ठ सहायक | 17497 |
| | **कुल अधिक भुगतान** | **₹123503** |

बकाया राशि का भुगतान करते समय प्राप्त वेतन (Drawn Salery) वास्तविक प्राप्त वेतन से कम दर्शाये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस तरह की अनियमितता की पुर्नवृति न हो। इसके अतिरिक्त अधिक भुगतान ₹123503/—की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके यथास्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**(4)** उपरोक्त पैरे में दिये गये विवरणानुसार 46 कर्मचारियों को माह 5/2015 में सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अर्न्तगत (4, 9, 14) का लाभ प्रदान किया गया था जिनका विवरण **परिशिष्ठ "ञ"** पर संलग्न है। इन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की

जाँच करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित प्रगतिशील योजना का लाभ प्रदान न करके कम लाभ प्रदान किया गया था जिसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैः–

**(1)** श्री सुशील कुमार ड्राईवर को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना (4, 9, 14) के अन्तर्गत निम्न प्रकार से लाभ प्रदान किया गया था।

| | |
|---|---|
| वर्तमान/ड्राईवर के पद पर कार्य ग्रहण की तिथि | 01.02.2009 |
| दिनांक 27.8.2009 को वेतन | ₹7930+2000=9930 |
| चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 27.8.2009 को प्रथम ए0सी0पी0/उच्च वेतनमान प्रदान किया गया | ₹7930+300=8230+2400=10630 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.2.2010 | 8230+320=8550+2400=10950 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.2.2011 | 8550+330=8880+2400=11280 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.2.2012 | 8880+340=9220+2400=11620 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.2.2013 | 9220+350=9520+2400=11970 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.2.2014 | 9570+360=9930+2400=12330 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.2.2015 | 9930+370=10300+2400=12700 |

उपरोक्त मामले में श्री सुशील कुमार चालक को 13 वर्ष का सेवाकल पूर्ण करने पर भी एक ही वेतन वृद्धि व उच्च ग्रेड पे प्रदान की गई थी जबकि उन्हें 9 वर्ष का सेवाकल पूर्ण करने पर दूसरी वेतनवृद्धि व उच्च ग्रेड पे तथा दिनांक 1.2.2016 को 14 वर्ष का सेवाकल पूर्ण करने पर तीसरी वेतन वृद्धि एवं उच्च ग्रेड पे प्रदान की जानी थी।

**(ii)** श्रीमती कौशल्या सफाई कर्मचारी को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना (4, 9, 14) के अन्तर्गत सेवा पुस्तिका के अनुसार निम्न प्रकार से लाभ प्रदान किया गया था।

| | |
|---|---|
| सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की तिथि | 01.04.1999 |
| दिनांक 27.8.2009 को वर्तमान पद पर वेतन | ₹6920+1300=8220 |
| दिनांक 27.8.2009 को चार वर्ष के सेवाकाल पर देय प्रथम ए0सी0पी0 प्रदान करके निर्धारित वेतन | ₹6920+1400=8320 |
| दिनांक 27.8.2009 को 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर दूसरी ए0सी0पी0 प्रदान करके निर्धारित वेतन | ₹6920+250=7170+2400=8820 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.2010 | ₹7170+270=7440+1650=9090 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.2011 | ₹7440+280=7720+1650=9370 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.2012 | ₹7720+280=8000+1650=9650 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.2013 | ₹8000+290=8290+150=9940 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.2014 | ₹8290+300=8590+1650=10240 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.4.2015 | ₹8590+310=8900+1650=10550 |

उपरोक्त कर्मचारी को प्रथम ए0सी0पी0 व उच्च ग्रेड पे चार वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर प्रदान करते समय वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई थी तथा 01.4.2013 को 14 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर तीसरी ए0सी0पी0 प्रदान करके वेतन वृद्धि उच्च ग्रेड पे प्रदान नहीं की गई थी।

अतः उपरोक्त सभी मामलों का पुर्न अवलोकन किया जाए तथा सभी कर्मचारियों को वित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी (7)–59/2010 दिनांक 09.08.2012 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुये सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त मामले अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67 दिनांक 4.8.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर के ध्यान में लाये गये थे लेकिन नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

**(5) श्री विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी को ₹1.33 लाख का अनियमित भुगतानः–**

श्री विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर द्वारा माह 5/2015 में सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना व बिना किसी कार्यालय आदेश के सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 42 पर प्रविष्टियाँ करके निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया था।

| दिनांक | वेतन निर्धारित |
|---|---|
| 8.9.2009 | 24980+4600=29580 |
| 1.11.2009 वार्षिक वेतन वृद्धि | 25870+4600=30470 |
| 1.11.2010 वार्षिक वेतन वृद्धि | 26790+4600=31390 |
| 1.11.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि | 27740+4600=32340 |
| 1.11.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि | 28710+4600=33310 |
| 1.11.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि | 29710+4600=34310 |
| 1.11.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि | 30740+4600=35340 |
| 1.12.2014 संशोधित ग्रेड पे | 30740+4800=35540 |

उपरोक्त वेतन निर्धारण के आधार पर श्री विजय कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 9.8.2012 से 31.10.2015 तक वेतन प्राप्त किया था। माह 11/2015 से पुराने वेतन ₹30730+4800 के आधार पर वेतन प्राप्त किया था तथा उपरोक्त वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में की गई प्रविष्टियों को रद्द कर दिया गया था।

श्री विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी को सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत 4, 9, 14 का लाभ शहरी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाना था। श्री विजय कुमार द्वारा माह 5/2015 में अनियमित रूप से बढ़ाये गये अपने वेतन के निर्धारण से सम्बन्धित प्रविष्टियों को तो रद्द कर दिया था लेकिन उनके द्वारा दिनांक 9.8.2012 से 31.10. 2015 के दौरान अनियमित भुगतान को वापिस नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप उन्हें ₹132952/– का अनियमित भुगतान किया गया था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ठ"** पर दिया गया है तथा संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

| | |
|---|---|
| वाउचर संख्या 248 दिनांक 19.5.15 द्वारा 9.8.2012 से 30.4.2015 तक भुगतान की गई बकाया राशि | ₹95770 |
| अवधि 1.5.15 से 31.10.15 के वेतन के साथ भुगतान की गई अधिक राशि | ₹27602 |
| मंहगाई भत्ते की बकाया राशि अवधि 1.1.15 से 30.4.15 का भुगतान करते समय अधिक भुगतान की गई राशि | ₹9580 |
| कुल अधिक/अनियमित भुगतान | ₹132952 |

अतः श्री विजय कुमार शर्मा को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विरूद्ध सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत (4, 9, 14) का लाभ प्रदान करने बारे बाद में सुनिश्चित प्रगतिशील योजना के अन्तर्गत प्राप्त लाभ से सम्बन्धित सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण को रद्द करने पर अनियमित रूप से प्राप्त राशि को वापिस नगर परिषद निधि में जमा न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनियमित रूप से प्राप्त ₹132952/– की सम्बन्धित अधिकारी से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68 दिनांक 5.8.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया गया था लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

**(6) ₹51816/– का अधिक भुगतानः–**

श्री कुलदीप चन्द वर्क सुपरवाईजर का माह दिसम्बर 2015 में दिनांक 1.1.2006 से तकनीशियन तकनीकी, तकनीशियन ग्रेड–II व तकनीशियन ग्रेड I के पर थ्री टायर वेतनमान में निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया गया है।

| | |
|---|---|
| 1.1.2006 जूनीयर तकनीशियन के पद पर वेतन निर्धारित | ₹7910+2400=10310 |
| 1.1.2007 वार्षिक वेतन वृद्धि | 7910+310=8220+2400=10620 |
| 1.1.2008 वार्षिक वेतन वृद्धि | 8220+320=8540+2400=10940 |

| | |
|---|---|
| 1.1.2009 वार्षिक वेतन वृद्धि | 8540+330=8870+2400=11270 |
| 1.1.2010 वार्षिक वेतन वृद्धि | 8870+340=9210+3000=12210 |

12 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर तकनीशियन ग्रेड I के वेतनमान में ₹3000 ग्रेड पे प्रदान की गई)

| | |
|---|---|
| 1.1.2011 वार्षिक वेतन वृद्धि | 9210+370=9580+3000=12580 |
| 1.1.2012 वार्षिक वेतन वृद्धि | 9580+380=9660+3000=12960 |
| 1.10.2012 पदवार वेतनमान प्रदान किया पद/प्रवर्ग बार संशोधित वेतनमान में 1.10.2012 को तकनीशियन ग्रेड के पर वेतन निर्धारण | 10300+3200=13500 |
| 1.10.2013 वार्षिक वेतन वृद्धि | 10300+410=10710+3200=13910 |
| 1.10.2014 वार्षिक वेतन वृद्धि | 10710+420=11130+3200=14330 |
| 1.10.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि | 11130+430=11560+3200=14760 |

उपरोक्त अनुसार वेतन निर्धारित करके श्री कुलदीप चन्द को 1.10.2012 से 31.12.2015 तक बकाया राशि का भुगतान किया गया था तथा 1.1.2016 से वेतन के साथ भुगतान किया जा रहा है। इससे पहले श्री कुलदीप चन्द वर्क सुपरवाईजर को 1.10.2012 से पद/प्रवर्ग बार संशोधित वेतनमानों में वेतन निर्धारित करके ₹2400/–ग्रेड पे का भुगतान किया जा रहा था।

निदेशक शहरी विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्य्k UD-H(B)(T)-11/87-V-12021 दिनांक 3.8.2016 के अनुसार वर्क सुपरवाईजर के पद का 1.10.2012 से पद/प्रवर्ग वार वेतन संशोधित करते समय वेतन संशोधित नहीं किया गया है न ही शहरी विकास विभाग द्वारा वर्क सुपरवाईजर को 1.1.2006 से थ्री टायर वेतनमान के अन्तर्गत तकनीशियन, तकनीशियन ग्रेड II व तकनीशियन ग्रेड I का वेतनमान स्वीकृत किया गया है। अतः श्री कुलदीप चन्द वर्क सुपर वाइजर को अनियमित रूप से पद/प्रवर्ग बार संशोधित वेतनमानों में 1.10.2012 से वेतन निर्धारित करके व दिनांक 1.1.2006 से तकनीशियन के पद पर थ्री टायर वेतन मान में वेतन निर्धारित करके लाभ प्रदान किया गया है जिसके फलस्वरूप उन्हें 1.10.2012 से 31.7.2016 तक निम्नविवरणानुसार ₹51816/– का अधिक भुगतान किया गया है। अतः श्री कुलदीप चन्द वर्क सुपरवाईजर को दिनांक 1.10.2012 से उच्च वेतनमान व 1.1.2006 से तकनीशियन के पद वेतनमान में वेतन निर्धारित करने बारे नियमों की पुष्टि करते हुये औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उन्हें अधिक भुगतान ₹51816/– की वसूली करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| | | | देय राशि | | | भुगतान राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अवधि | मूल वेतन | ग्रेड पे | महंगाई भत्ता | जोड़ | मूल वेतन | ग्रेड पे | महंगाई भत्ता | जोड़ | अन्तरXमाह | राशि |
| 1.10.12 से 31.12.12 | 10680 | 2000 | 9130 | 21810 | 10300 | 3200 | 9720 | 23220 | 1410X3 | 4230 |
| 1.1.13 से 0.6.13 | 11060 | 2000 | 10448 | 23508 | 10300 | 3200 | 10800 | 24300 | 792X6 | 4752 |
| 1.7.13 से 30.9.13 | 11060 | 2000 | 11754 | 24814 | 10300 | 3200 | 12150 | 25650 | 836X3 | 2508 |
| 1.10.13 से 31.12.13 | 11060 | 2000 | 11754 | 24814 | 10710 | 3200 | 12519 | 26429 | 1615X6 | 4845 |
| 1.1.14 से 30.6.14 | 11460 | 2000 | 13460 | 26920 | 10710 | 3200 | 13910 | 27820 | 900X6 | 5400 |
| 1.7.14 से 30.9.14 | 11460 | 2000 | 14402 | 27862 | 10710 | 3200 | 14884 | 28794 | 932X6 | 2796 |
| 1.10.14 से 31.12.14 | 11460 | 2000 | 14402 | 27862 | 11130 | 3200 | 15333 | 29663 | 1801X3 | 5403 |
| 1.1.15 से 30.6.15 | 11870 | 2000 | 15673 | 29543 | 11130 | 3200 | 16193 | 30523 | 980X6 | 5808 |
| 1.7.15 से 30.9.15 | 11870 | 2000 | 16505 | 30375 | 11130 | 3200 | 17053 | 31383 | 1008X3 | 3024 |
| 1.10.15 से 31.12.15 | 11870 | 2000 | 16505 | 30375 | 11560 | 3200 | 17564 | 32324 | 1949X3 | 5847 |
| 1.1.12 से 31.7.16 | 12290 | 2000 | 17005 | 31295 | 11560 | 3200 | 17564 | 32324 | 1029X7 | 7203 |
| | | | | | | | | | | ₹51816 |

## (7) ₹0.06 लाख का अधिक भुगतानः–

श्री बुधी सिंह, कनिष्ठ सहायक को वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 8.4.2015 से पदोन्नत किया गया था पदोन्नति के उपरान्त सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार उनका वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया था।

| | |
|---|---|
| कनिष्ठ सहायक के पद पर 7.4.2015 को वेतन | ₹17750+3600 ग्रेड पे |
| वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 8.4.2015 को वेतनमान 10300–34800+4400 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण | ₹17750+640=18390+4400 |
| वार्षिक वेतन वृद्धि 1.8.2015 को लगाकर वेतन निर्धारित | ₹18390+690=19080+440=23480 |

पदोन्नति की तिथि को वेतन निर्धारण करने पर उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष के उपरान्त प्रदान की जानी थी। अंकेक्षण के दौरान इस बारे आपत्ति उठाये जाने पर श्री बुधी सिंह वरिष्ठ सहायक का वेतन दिनांक 1.8.2015 वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि से निर्धारित

करके उन्हें अवधि निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान की गई ₹5952/– की वसूली माह जुलाई 2016 के वेतन देय अगस्त 2016 से कर ली गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

| | | प्राप्त राशि | | देय राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **अवधि** | **वेतन** | **महंगाई भत्ता** | **जोड़** | **वेतन** | **महंगाई भत्ता** | **जोड़** | **अन्तरxमाह** | **अधिक भुगतान** |
| 8.4.15 से 30.4.15 | 22790 | 25753 | 48543 | 22150 | 25030 | 47180 | 1360x23/30 | 1045 |
| 1.5.15 से 30.6.15 | 22790 | 25753 | 48543 | 22150 | 25030 | 47180 | 1363x2 | 2726 |
| 1.7.15 से 31.7.15 | 22790 | 27120 | 49910 | 22150 | 26759 | 48509 | 1401x1 | 1401 |
| 1.8.15 से 31.7.16 | 23480 | 27941 | 51421 | 23450 | 23906 | 51356 | 65x12 | 780 |
| | | | | | | | **जोड़** | **₹5952** |

**(8)** नगर परिषद हमीरपुर के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं व निजि नस्तियों एवं वेतन से सम्बन्धित भुगतान वाउचरों का अवलोकन करने पर पाया गया कि कर्मचारियों को कोई भी लाभ प्रदान करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई भी कार्यालय आदेश लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में जारी नहीं किए जा रहे थे। सीधे सेवा पुस्तिकाओं में लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ करके कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाता रहा वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान सभी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी लेकिन वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने बारे कोई आदेश जारी नहीं किए गये थे। उपरोक्त पैरे में दिये गये विवरणाानुसार नगर परिषद के लगभग सभी कर्मचारियों को (4, 9, 14) ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया था लेकिन किसी भी कर्मचारी के सम्बन्ध में ए0सी0पी0 (4, 9, 14) प्रदान करने बारे आदेश जारी नहीं किए गये थे तथा सेवा पुस्तिकाओं में बार–बार बिना किसी आधार के प्रविष्टियाँ कर दी जाती है व कई बार उन्हें रद्द भी कर दिया जाता है।

कर्मचारियों को कोई भी लाभ प्रदान करने बारे आदेश जारी बिना लाभ प्रदान करना सेवा पुस्तिकाओं में बिना किसी आधार के प्रविष्टियाँ करना, सेवा पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों को बिना किसी आधार के रद्द करना व वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करते समय वार्षिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र जारी न करना एक गम्भीर अनियमितता है। भविष्य में कार्यालय आदेशों के बिना सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न की जाए एवं कोई भी लाभ प्रदान करने के समर्थन में कार्यालय आदेश जारी किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

(9) अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद हमीरपुर में कार्यरत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की स्थिति का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (ङ)** में दिया गया है।

## 13 डिपोजिट कार्य के विरूद्ध जमा करवाई गई ₹3401.32 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद हमीरपुर द्वारा विभिन्न/कार्यों/डिपोजिट वर्क के एवज में हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के पास निम्नविवरणानुसार ₹340131750/–जमा करवाई गई परन्तु इन राशियों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

| क्र0सं0 | दिनांक | वा0सं0 | कार्य का नाम | विभाग का नाम | ₹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9.14 | 834 | नगर परिषद हमीरपुर हेतु पेय जल योजना एवं सीवरेज का निर्माण | हि0प्र0 सिंचाई एवजन स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर (हि0प्र0) | 100000000 |
| 2 | 14.11.14 | 1188 | –यथोपरि– | –यथोपरि– | 150000000 |
| 3 | 24.7.14 | 611 | –यथोपरि– | –यथोपरि– | 50000000 |
| 4 | 18.2.15 | 1710 | –यथोपरि– | –यथोपरि– | 30131750 |
| 5 | 30.3.15 | 2007 | –यथोपरि– | –यथोपरि– | 10000000 |
| | | | | **योग** | **₹340131750** |

## 14 (क) ₹14.98 लाख का नगर परिषद निधि से अनियमित व्ययः–

नगर परिषद के सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी व कम्युटेशन ऑफ पैन्शन का भुगतान नगर परिषद निधि से किया गयाा था। नियमानुसार यह भुगतान पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से किया जाना अपेक्षित था। सेवानिवृत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी व पैन्शन कम्युटेशन का भुगतान नगर परिषद निधि से अनियमित रूप से करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निम्न विवरणानुसार नगर परिषद निधि से किए गये अनियमित व्यय ₹1498021/– की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि नगर परिषद निधि में जमा की जाए।

| क्र0सं0 | वा0सं0 | भुगतान की तिथि | भुगतान राशि | भुगतान का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1633 | 29.1.2016 | 178777 | श्रीमती विमलेश प्यारी को ग्रेच्युटी का भुगतान |
| 2 | 1629 | 29.1.2016 | 605432 | श्री विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी को ग्रेच्युटी का भुगतान |
| 3 | 1163 | 29.1.2016 | 713812 | श्री विजय कुमार शर्मा कार्यकारी अधिकारी को कम्पयुटेशन ऑफ पैन्शन का भुगतान |
| | | **जोड़** | **₹1498021** | |

**(ख) भुगतान प्राप्ति की रसीदे प्रस्तुत न करनाः–**

नगर परिषद द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु विभिन्न फर्मों एवं विभागों को समय–2 पर भुगतान किया गया था लेकिन भुगतान प्राप्ति के समर्थन में पावतियाँ अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। अतः निम्न मामलों में भुगतान प्राप्ति के समर्थन में सम्बन्धित फर्मों/विभागों से पावतियाँ प्राप्त करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | वा0सं0 | दिनांक | राशि | भुगतान का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 24.4.14 | 27250 | बिल नं0 3202 व 3203 दिनांक 10.2.14 के विरूद्ध बिल्ला डीजल कैमीकल वर्कस पका परो हमीरपुर को भुगतान |
| 2 | 77 | 4/2014 | 7651 | अन्य भुगतान के अतिरिक्त ₹7651/– लेबर सैस का भुगतान सम्बन्धित विभाग को किया गया था। |
| 3 | 1534 | 18.1.16 | 30038 | अन्य भुगतान के अतिरिक्त ₹30038/– का भुगतान लेबर सैस के रूप में सम्बन्धित विभाग को किया गया था। |

जाँच पड़ताल के दौरान यह भी नोटिस किया गया है कि लेबर सैस का भुगतान नगद राशि बैंक से निकालकर सम्बन्धित विभाग को किया गया था जो कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के विरूद्ध है। अतः भविष्य में समस्त भुगतान चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा वर्ष 2014–15 व 2015–16 के दौरान लेबर सैस के सम्बन्धित विभाग को नगद दर्शाये गये समस्त भुगतान की वास्तविक प्राप्ति की रसीदें प्राप्त करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**15 पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से ₹0.65 लाख सेवानिवृत कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का अनियमित भुगतानः–**

पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि से निम्न विवरणानुसार श्री अश्वनी कुमार वरिष्ठ सहायक (सेवा निवृत) को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹64652/– का भुगतान किया गया था।

| क्र0सं0 | चैक सं0 | दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 008283 | 21.4.14 | 17585 |
| 2 | 008285 | 5.8.14 | 10529 |
| 3 | 008286 | 15.10.14 | 15794 |
| 4 | 008288 | 14.1.15 | 19620 |
| 5 | 008290 | 4.3.15 | 1124 |
| | | **जोड़** | **64652** |

उपरोक्त सेवानिवृत कर्मचारी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों पर किया गया व्यय पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उपरोक्त भुगतान की गई ₹64652/–की उचित स्त्रोत से वसूली करके पैन्शन एवं ग्रेच्युटी निधि में जमा करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**16 ₹14.36 लाख को जमा करने बारे सहायक भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संग्रठन, एस डी ए काम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला द्वारा नगर परिषद हमीरपुर के विरूद्ध आदेश पारित करने बारेः–**

सहायक भविष्य निधि आयुक्त एस डी ए काम्पपैक्स कसुम्पटी शिमला–9 के आदेश संख्या RO/SML/COMP/HP-7408 दिनांक 7 जनवरी 2016 द्वारा नगर परिषद हमीरपुर के विरूद्ध Employees Provident Fund & Miscellaneous Provision AC+1952 के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों की अनुपालना न करने पर निम्नानुसार ₹1436180/– जमा करने बारे आदेश पारित किए थे।

| क्र0सं0 | अवधि | कर्मचारियों का विवरण | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/11 से 12/12 | नगर परिषद के Casual कर्मचारी | 185 |
| 2 | 1/11 से 12/12 | संविदाकारों के कर्मचारी | 1435095 |
| | | **कुल राशि** | **₹1436180** |

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियिम 1952 के प्रावधान दिनांक 8.1.2011 से सभी नगर परिषदों एवं नगर निगम में लागू थे जिसके बारे में निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H (B) (10)-2/2007-1923-72 दिनांक 30.1.2012 द्वारा सभी नगर परिषदों को सूचित किया था।

नगर परिषदों द्वारा अपने दैनिक भोगी/कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता शेयर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिमाह जमा किया जाना था। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना था कि ंजिन संविदाकारों से निर्माण/अन्य कार्य करवाए जा रहे है वह भी अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान व नियोक्ता शेयर जमा कर रहे है जिसकी अनुपालना में उन्ही संविदाकारों से निर्माण/अन्य कार्य करवाये जाने थे जो अपने कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान प्रतिमाह जमा कर रहे थे।

लेकिन नगर परिषद के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के प्रावधानों को अनदेखी करने के परिणामस्वरूप सहायक भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एस0 डी0 ए0 काम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला–9 द्वारा नगर परिषद हमीरपुर के विरूद्ध ₹1436180/– जमा करने हेतु आदेश पारित किए है। उपरोक्त राशि के विरूद्ध नगर परिषद हमीरपुर द्वारा निम्नविवरणानुसार ₹855239/– जमा कर दिये हैं तथा ₹580941/– जमा करने शेष है।

| क्र0सं0 | जमा राशि का विवरण | दिनांक | जमा राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | बैंक खाता संख्या 20005077173 | 22.3.16 | 155239 |
| 2 | चैक नं0 953834 | 16.6.16 | 100000 |
| 3 | चैक नं0 249544 | 8.8.16 | 600000 |
| | | **जोड़** | **855239** |

उपरोक्त मामला निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि इस मामले की विस्तृत छानबीन करके जिम्मेवार अधिकारी/कर्मचारी का दायित्व निर्धारित करके परिषद को अनावश्यक हानि से बचाने हेतु आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाने बारे विचार किया जाए।

**17** **कार्य का नामः–** शिवनगर हमीरपुर वार्ड नं0 6 में कार पार्किंग एवं भवन का निर्माण कार्य करना

संविदाकार का नामः– श्री राकेश चन्द ठाकुर

आबंटन पत्र संख्याः MCH Tender/Award/Est/2012-13V-4-1428 Dt 26.12.2012

अनुबन्ध राशिः ₹4292932

वाउचर संख्याः 162 माह 4/2014 ₹2137506

वाउचर संख्याः 1743 माह 2/2015 ₹445486

उपरोक्त कार्य का आबंटन श्री राकेश चन्द ठाकुर संविदाकार को दिनांक 26.12.12 को किया गया था। उपरोक्त कार्य के प्रथम व द्वितीय चलत बिलों के दौरान संविदाकार को किए गये भुगतान की जाँच करने पर ₹599200/— के अधिक, अनियमित व अनुचित भुगतान के मामले एवं अन्य अनियमिततायें पाई गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

(1) कार्य से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित डी एन आई टी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।

(3) कार्य आरम्भ करने की तिथि 26.12.2012 थी तथा अनुबन्ध अनुसार छः माह के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना था जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की अपेक्षित तिथि 26.6.2013 थी। मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 55 पर माह 9/2014 में कार्य पूर्ण किया दर्शाया गया था कार्य लगभग 15 माह देरी से पूर्ण किया गया था। निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु अधिक लिए गये समय को नियमित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐक्स्टैन्शन स्वीकृत नहीं की गई थी न ही संविदाकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण न करने पर अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत उसके विरूद्ध कार्रवाई की गई थी।

**(4) ₹3.65 लाख का अनियमित भुगतानः—**

कार्य की मद संख्या 1 के अन्तर्गत "एक्सावेशन इन फाउडेशन टरेचिज" इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य में ₹364850/— का भुगतान प्लाट को समतल करने के लिए किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

| मापन पुस्तिका सं0 | बिल की मद संख्या | कार्य का विवरण | कार्य मात्रा | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2013 | 1 (a) | पिक/जम्पर वर्क | 471.20 घन मी0 | 205 प्रति घन मी0 | 96596 |
| | 1 (b) | डार्ड रॉक | 692 घन मी0 | 387.65 प्रति घन मी0 | 268254 |
| | | | | **कुल राशि** | **₹364850** |

उपरोक्त किया गया कार्य कार्य के अनुमान में शामिल नहीं था। इस कार्य को करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अंकेक्षण के दौरान नहीं दिखाई गई। उपरोक्त मामले में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संविदाकार को ₹364850/–का भुगतान अनियमित रूप से किया गया था।

**(5)** प्रथम चलत बिल की मद संख्या 1 (a) व 1 (b) द्वारा वर्णित कार्य एक्सकावेशन इन फाउडेशन ट्रेंचिज इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की मात्रा का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 21 पर निम्नानुसार किया गया था।

| **क्र0सं0** | **मद सं0** | **कार्य का विवरण** | **कार्य मात्रा** | **दर** | **राशि** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (a) | पिक वर्क/जम्पर वर्क | 644.34 घन मी0 | 205 प्रतिघन मी0 | 132089 |
| 2 | 1 (b) | हार्ड रॉक | 692 घन मी0 | 387.65 प्रति घन मी0 | 268254 |

उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 2 पर निम्न प्रकार से की गई थी

| | | |
|---|---|---|
| एक्सकावेशन ऑफ प्लाट | | |
| ब्लाक ए | 1x16.95x6.95x(4.90+4.00+3.10/3) | 471.21 घन मी0 |
| ब्लाक बी | 1x20x8.65x(4.90+4.00+3.10/3) | 692.00 घन मी0 |
| एक्सकावेशन ऑफ कालम | 16x2.10x2.10x2.10 | 148.17 घन मी0 |
| सैन्टर टू सैन्टर कालम | | |
| | 8x(4.40-(.75+.75)x.60x.60 | 8.35 घन मी0 |
| | 4x(4.50-(.75+.75))x.60x.60 | 4.32 घन मी0 |
| | 4x(4.00-(.90+.90))x.60x.60 | 3.16 घन मी0 |
| | 4x(5.50-(.90+.90)x.60x.60 | 5.32 घन मी0 |
| | 4x(4.45-(.90+.90)x.60x.60 | 3.81 घन मी0 |
| | जोड़ | 1336.34 घन मी0 |
| | (a) पिक/जम्पर वर्क | 644.34 घन मी0 |
| | (b) हार्ड रॉक | 692.00 घन मी0 |
| | | 1336.30 घन मी0 |

उपरोक्त विवरणानुसार एकसकावेशन ऑफ प्लाट से सम्बन्धित किए गये कार्य की मात्रा 471.21 घन मी0 पिक/जम्पर वर्क व 692.00 घन भी हार्ड रॉक का भुगतान एक्सकावेशन इन फाउडेशन ट्रेचिज से सम्बन्धित मद की की दर से किया गया था जबकि उपरोक्त किये गये कार्य की मात्रा का भुगतान एक्सकावेशन इन अर्थ वर्क की मद की दर के

आधार पर अनुबन्ध की क्लाज 12 के अन्तर्गत अनुबन्ध में सामान कार्य मद के प्रीमियम के अनुसार किया जाना आपेक्षित था जिसके अनुसार उपरोक्त किये गये कार्य की दरों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाना था।

एक्सावेशन इन अर्थ वर्क पिक/जम्पर वर्क दर का निर्धारण

| | |
|---|---|
| उपरोक्त मद की एच पी एस आर 2009 के अनुसार दर | ₹134.25 प्रति घन मी0 |
| अनुबन्ध में समान कार्य मद मद संख्या एक्सकावेशन इन फाउडेशन ट्रेचिज इत्यादि पिक/जम्पर वर्क की संविदाकार दर | ₹205.00 प्रति घन मी0 |
| उपरोक्त मद की एच0पी0एस0आर 2009 के अनुसार दर | ₹180.55 प्रति घन मी0 |
| दर की प्रतिशतता/प्रीमीयम (205–180.55/180.55)X100 | 13.54 प्रतिशत उपर |
| दर का निर्धारण | |
| मानक दर अनुसूची 2009 के अनुसार किये गये र्का की दर+अनुबन्ध में समान कार्य मद की प्रतिशतता 13.54**%** | 134.25+18.18=152.43 प्रति घन मी0 |
| एक्सकावेशन इन अर्थ वर्क हार्ड रॉक की दर का निर्धारण | |
| उपरोक्त कार्य की एच0पी0एस0आर0 2009 के अनुसार | ₹331.70 |
| + अनुबन्ध में समान कार्य मद की प्रतिशतता (13.54**%**) | ₹44.91 |
| | **₹376.61** |

उपरोक्त मामले में निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹32412/– का अधिक भुगतान किया गया था।

| **क्र0सं0** | **मद सं0** | **किये गये कार्य का विवरण** | **कार्य मात्रा घन मी0** | **भुगतान दर प्रतिघन मी0** | **देय दर प्रतिघन मी0** | **अधिक भुगतान दर प्रति घन मी0** | **अधिक भुगतान राशि ₹** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (a) | एकसकावेशन इन अर्थ वर्क पिक/जम्पर वर्क | 471.21 | 205 | 152.43 | 52.57 | 24772 |
| 2 | 1 (b) | एकसकावेशन इन अर्थ वर्क हार्ड रॉक | 692.00 | 387.65 | 376.61 | 11.04 | 7640 |
| | | | | | **कुल अधिक भुगतान** | | **32412** |

(6) प्रथम चलत बिल की मद संख्या 7/6 (a) द्वारा वर्णित कार्य फार्म वर्क विधि स्टील प्लेट इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की कुल मात्रा 95.20 वर्ग मी0 का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 23 पर ₹155 प्रति वर्ग भी की दर से किया गया था इस कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 6 पर की गई थी। इस कार्य मात्रा के कालम के ट्रेर्पोजनल सैक्शन में किए गये फोर्म वर्क की 23.52 वर्ग मी0 कार्य मात्रा भी शामिल थी कार्य की प्रकृति के अनुसार कालम के वेस में ट्रेपोजिनल सैक्शन में आर0सी0सी0 से सम्बन्धित कार्य करने हेतु फोर्म वर्क से सम्बन्धित कार्य नहीं किया जाना था। अतः उपरोक्त मामले में संविदाकार को 23.52 वर्ग मी0 कार्य मात्रा के लिए ₹155/– प्रति वर्ग मी0 की दर से ₹3646/– का अनुचित भुगतान किया गया था।

(7) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 8 (ए) द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग आर0सी0सी0 1:2:4 मैकेनिकल मिकसड एम 20 इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की कुल मात्रा 44.80 घन मीटर का भुगतान मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 24 पर ₹3800 प्रति घन मी0 की दर से किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 9 पर निम्नानुसार की गई थी।

| | | |
|---|---|---|
| बेस ऑफ कालम | 16x2x2x0.20 | 12.80 घन मी0 |
| ट्रेपोजिनल सैक्शन | 16x0.60/6((2x2)+(.45x.70))+4((2x2)+.45x.75/2)) | 25.10 घन मी0 |
| कालम अप टू पलिथ वीम | 16x.75x.45x1.20 | 6.48 घन मी0 |
| | | **44.38 घन मी0** |

उपरोक्त विवरणानुसार कालम के ट्रेर्पोजनल सैक्शन में किये गये कार्य की मात्रा 25.10 घन मी0 दर्शाई गई थी जबकि इसकी वास्तविक गणना निम्न विवरणानुसार 20.80 घन मी0 बनती थी 16x.60/6((2x2)+(.45+.75)+4((2x2)+(.45x.75/2))=20.80 घन मी0 गणना में गलती के कारण संविदाकार को 4.30 घन मी0 (25.10–20.80) कार्य मात्रा के लिए ₹3800 प्रति घन मी0 की दर से ₹16340/–का अधिक भुगतान किया गया था।

(8) प्रथम चलित बिल की मद संख्या 8 (बी) द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेईंग आर0सी0सी0 संसपैडिड फलोर रूफ मकैनिकली मिक्सड एम 20 इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 136.95 घन मी0 का भुगतान ₹3840 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 24 पर किया गया था। उपरोक्त कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 9 पर निम्न प्रकार से की गई थी।

| | | |
|---|---|---|
| पलिथ लेबल बीम | 4x15.30x0.30x0.45 | 8.26 घन मी0 |
| क्रास बीम | 4x15.45x0.30x0.45 | 8.34 घन मी0 |
| बेसमैनट बीम | 4x15.30x0.30x0.45 | 8.26 घन मी0 |
| बेसमैन्ट क्रास बीम | 4x15.45x0.30x0.45 | 8.34 |
| बेस मैन्ट स्लैब | 15.30x15.45x(0.25+.23+.20/3) | 53.58 घन मी0 |
| ग्राऊंड फलोर बीम | 4x15.30x0.30x0.45 | 8.26 घन मी0 |
| ग्राऊंड फ्लोर क्रास बीम | 4x15.45x0.30x0.45 | 8.34 घन मी0 |
| ग्राऊंड फलोर स्लैब | 16.20x15.90x(.10+.15+.15/3) | 36.06 घन मी0 |

उपरोक्त गणनाओं से स्पष्ट होता है कि पालिथ लेबल बीम, बेसमैनट लेबल बीम व ग्राउंड फ्लोर की गणना लोंग व क्रास दोनों बीमों में स्लैब की लम्बाई के बराबर की गई थी जिससे कालम के ज्वाईंट पर बीम की कार्य मात्रा की गणना कालम के बराबर दो बार मापी व भुगतान की गई थी जिसके फलस्वरूप संविदाकार को 6.48 घन मी0 (16x3x0.30x0.45) कार्य मात्रा के लिए ₹3840 प्रति घन मी0 की दर से ₹24883/– (6.48 घन मी0x₹3840) का अधिक भुगतान किया गया था।

**(9)** प्रथम चलत बिल की मद संख्या 8 (बी) द्वारा वर्णित कार्य प्रोवाईडिंग एण्ड लेइअंग आर0सी0सी0 1:2:4 इत्यादि से सम्बन्धित किए गये कार्य की कुल मात्रा 136.95 घन मी0 का भुगतान ₹3840 प्रति घन मी0 की दर से मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 24 पर किया गया था। कार्य के अनुबन्ध के अनुसार उपरोक्त मद का अप टू फलोर टू लेबल तक किए गये कार्य के लिए ₹3800 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया जाना था। उपरोक्त कार्य मात्रा से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों के अनुसार अभी ग्राऊंड फलोर तक ही कार्य किया गया था। अतः संविदाकार को ₹3840 प्रतिघन भी से भुगतान नहीं किया जाना था।

उपरोक्त मामले में संविदाकार को ₹3800/–प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹3840/– प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किए जाने के कारण ₹40 प्रतिघन मीटर की दर से 136.95 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹5478/– का अधिक भुगतान किया गया था।

**(10)** उपरोक्त कार्य के दूसरे चलत बिल की मद संख्या 2/36 द्वारा वर्णित कार्य Carrage of Material Earth Caked 1/C Loading Unloading and disposal of designated site muck dumping. इत्यादि से सम्बन्धित किये गये कार्य की कुल मात्रा 1294.02 घन मी0 (1275.69 घन मीटर कार्य मात्रा प्रथम चलत बिल व 18.33 घन मीटर कार्य मात्रा द्वितीय चलत बिल) का

भुगतान ₹275 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 69 पर किया गया था।

उपरोक्त कार्य के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुमानित राशि जिसके आधार पर टैण्डर आमन्त्रित किए गये थे, में उपरोक्त मद शामिल नहीं थी। टैण्डर फार्म जारी करते समय 1 घन मी0 कार्य मात्रा के लिए मद संख्या 36 के अन्तर्गत उपरोक्त मद लिखकर दर मांगी गई थी। उपरोक्त लिखी गई मद का नामनीकलेचर अधूरा था जिसमें यह नहीं दर्शाया गया था कि Carriage of material मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जायेगा अथवा लेबर द्वारा किया जायेगा न ही यह दर्शाया गया था कि Material कितने दूर फैंकना है न ही उपरोक्त मद का नामनीकलेचर मानक दर अनुसूची 2009 की मदों से मेल खाता था।

उपरोक्त कार्य मात्रा में शामिल 1275.69 घन मीटर कार्य मात्रा की रिकार्ड प्रविष्टियाँ मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 3 पर किये गये कार्य का निम्न विवरण देकर की गई थी।

Carriage of Material by machenical transport including Loading Unloading and staking up to 2km Muck dumping site

उपरोक्त मद के अन्तर्गत किये गये कार्य 1275.69 घन मीटर का भुगतान मानक दर अनुसूची 2009 में उपरोक्त कार्य की मद संख्या 0601010200 के आधार पर ₹132.55 प्रति घन मीटर की दर से मापन पुस्तिका संख्या 3/2013 पृष्ठ 21 पर ₹169093/– के लिए किया गया था। कनिष्ठ अभियन्ता जो मापन पुस्तिका में कार्यस्थल पर किये गये कार्य की वास्तविक प्रविष्टियाँ करता है। यदि वह बाद में पूर्व में दर्शाये गये कार्य मद के नामनीकलेचर को बदलता है और उस किये गये कार्य को किसी और तरह से किया दर्शाता है तो उसके द्वारा दर्शाया गया कार्य कार्य संदेहास्पद हो जाता है।

उपरोक्त मामले में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दूसरे बिल का भुगतान करते समय संविदाकार को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से उपरोक्त मद के प्रथम चलत बिल में संविदाकार द्वारा किये गये कार्य व उसे भुगतान किए कार्य का नामनीकलेचर बदल कर संविदाकार को अनुबन्ध की मद संख्या 36 के अन्तर्गत ₹275 प्रति घन मीटर से भुगतान किया गया था जबकि वास्तव में संविदाकार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान अनुबन्ध की क्लाज 12 के अन्तर्गत दर निर्धारित करके निम्न प्रकार से किया जाना था।

| | |
|---|---|
| हि0प्र0 मानक दर अनुसूची 2009 से मद संख्या 0601010200 के अन्तर्गत Carriage of Material by machnical means 1/C loading unloding staking up to 2 k.m. at muck dumping site की दर | ₹132.55 |
| अनुबन्ध की ओवरआल प्रतिशतता/प्रीमीयम | 19.249% |
| | ₹25.51 |
| निर्धारित दर | ₹158.06 |

उपरोक्त दर के आधार पर संविदाकार को दूसरे चलत बिल तक किये गये कार्य की मात्रा 1294.02 घन मीटर के लिए ₹158.06 प्रति घन मीटर की दर से ₹204533/– का भुगतान किया जाना था जबकि संविदाकार को 1294.02 घन मीटर कार्य मात्रा के लिए ₹275 प्रति घन मीटर की दर से ₹355854 का भुगतान किया गया था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को ₹151321 (₹355854–₹204533) का अधिक भुगतान किया गया था।

उपरोक्त अनियमितताओं बारे मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62 दिनांक 27.7.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यान में लाया गया था लेकिन उपरोक्त सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः पाई गई उपरोक्त अनियमितताओं के बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक भुगतान दर्शाई गई राशियों की उचित स्त्रोत/चूककर्ता से वसूली करके कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 18 ₹0.97 लाख की लेबर सैस आयकर व शिक्षा सैस की संविदाकरों से कम वसूलीः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सैनेटरी कार्य से सम्बन्धित संविदाकार के भुगतान से लेबर सैस, आयकर व शिक्षा शुल्क की वसूली नहीं की गई थी जबकि समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार संविदाकारों के भुगतान से आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा स्त्रोत पर आयकर, लेबर सैस व शिक्षा सैस की वसूली करके भुगतान किया जाना था तथा वसूली गई राशि को सम्बन्धित विभागों में जमा किया जाना था। संविदाकारों के भुगतान बिलों से लेबर सैस, आयकर व शिक्षा सैस की वसूली न करने के कारण एक तरफ सरकारी राजस्व की हानि हुई है तथा दूसरी तरफ संविदाकार को अधिक भुगतान किया गया है। संविदाकारों के बिलों से उपरोक्त अपेक्षित वसूलियाँ न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार संविदाकारों के बिलों से लेबर सैस, आयकर व शिक्षा शुल्क की वसूली योग्य ₹97128 की उचित स्त्रोत से वसूली करके प्राप्त राशि सम्बन्धित विभागों में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए।

| क्र0सं0 | जिस माह का भुगतान किया गया | वाउचर संख्या | माह | भुगतान राशि | राशि जिसकी वसूल नहीं की गई | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आयकर | शिक्षा सैस | लेबर सैस | कुल राशि |
| **श्री रूप लाल संविदाकार** | | | | | | | | |
| 1 | 3/2014 | 8 | 4/2014 | 280000 | 2800 | 84 | 2800 | 5684 |
| 2 | 4/2014 | 198 | 5/2014 | 280000 | 2800 | 84 | 2800 | 5684 |
| 3 | 5/2014 | 337 | 6/2014 | 280000 | 2800 | 84 | 2800 | 5684 |
| 4 | 6/2014 | 519 | 7/2014 | 280000 | 2800 | 84 | 2800 | 5684 |
| 5 | 7/2014 | 650 | 8/2014 | 280000 | 2800 | 84 | 2800 | 5684 |
| 6 | 8/2014 | 808 | 9/2014 | 280000 | 2800 | 84 | 2800 | 5684 |
| 7 | 9/2014 | 993 | 10/2014 | 293000 | 2930 | 88 | 2930 | 5948 |
| 8 | 10/2014 | 1141 | 11/2014 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 9 | 11/2014 | 1287 | 12/2014 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 10 | 12/2014 | 1431 | 1/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 11 | 1/2015 | 1618 | 2/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 12 | 2/2015 | 1811 | 3/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 13 | 3/2015 | 2026 | 4/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 14 | 4/2015 | 157 | 5/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 15 | 5/2015 | 321 | 6/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 16 | 6/2015 | 487 | 7/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 17 | 7/2015 | 675 | 8/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 18 | 8/2015 | 853 | 9/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 19 | 9/2015 | 1036 | 10/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 20 | 10/2015 | 1169 | 11/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 21 | 11/2015 | 1314 | 12/2015 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 22 | 12/2015 | 1462 | 1/2016 | 293000 | — | — | 2930 | 2930 |
| 23 | 1/2016 | 1642 | 2/2016 | 364050 | — | — | 3641 | 3641 |
| 24 | 2/2016 | 1831 | 3/2016 | 364050 | — | — | 3641 | 3641 |
| 25 | 3/2016 | 157 | 4/2016 | 364050 | — | — | 3641 | 3641 |
| श्री प्रहलाद संविदाकार | | | | | | | | |
| 26 | 1/2016 | 1580 | 1/2016 | 220366 | — | — | 2203 | 2203 |
| | | | **कुल राशि** | | **19730** | **592** | **76806** | **97128** |

उपरोक्त मामला अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58 दिनांक 21.7.2016 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर के ध्यान में लाया गया था। लेकिन कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया।

## 19 कार पार्किंग का समय पर अनुबन्ध हस्ताक्षरित न करने पर ₹0.30 लाख की हानिः–

नगर परिषद हमीरपुर वार्ड नं0 6 में नई निर्माण की गई कार पार्किंग की नीलामी 6 जून 2015 को की गई अधिकतम बोली देने पर श्री विनोद कुमार पुरी सुपुत्र र्स्वगीय श्री कुलदीप चन्द वार्ड नं0 3 हमीरपुर को कार पार्किंग का ठेका एक वर्ष की अवधि के लिए ₹44500/– में आबंटित किया गया। नीलामी की शर्तों के अनुसार संविदाकार को सात दिन के भीतर कार पार्किंग का संचालन अपने हाथ में लेना था यदि संविदाकार सात दिन के भीतर नगर परिषद के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करके सात दिन के भीतर पार्किंग का संचालन अपने हाथ में नहीं लेता तो उसकी अग्रिम जमानत राशि रद्द की जानी वाँछित थी तथा कार पार्किंग का संचालन नगर परिषद को अपने हाथ में लेना था।

उपरोक्त नीलामी की तिथि से सात दिन दिनांक 13 जून 2015 से पूर्व संविदाकार द्वारा नगर परिषद के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करके कार पार्किंग का संचालन अपने हाथ में लेना था। संविदाकार द्वारा नगर परिषद के साथ दिनांक 7.12.2015 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया था तथा दिनांक 15.2.2016 से 14.2.2017 तक कार पार्किंग श्री विनोद कुमार पुरी को ठेके पर दी गई थी।

उपरोक्त मामले में नगर परिषद अधिकारियों द्वारा कार पार्किंग नीलामी के अधिकतम राशि की बोली देने वाले संविदाकार श्री विनोद कुमार पुरी के विरूद्ध समय पर सात दिन के भीतर कार पार्किंग का संचालन अपने हाथ न लेने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी न ही उसकी जमानत राशि जब्त करके कार पार्किंग का पुनः आबंटन किया गया था। कार पार्किंग का समय पर संचालन न करवाने के कारण नगर परिषद को लगभग 8 माह के ₹29667/– (44500x8/12) की हानि हुई है जिसके बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा हानि की राशि का उत्तरदायित्व जिम्मेवार कर्मचारी/अधिकारी पर निर्धारित करके उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 20 ₹0.16 लाख की ए0सी0सी0 बरमाणा से वसूली न करनाः–

नगर परिषद हमीरपुर द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कारपोरेशन हमीरपुर से प्रोफार्मा इनवाईस प्राप्त करके ए0सी0सी0 बरमाणा से सीमेन्ट क्रय किया गया था। ए0सी0सी0 बरमाणा को अग्रिम भुगतान किया गया था लेकिन भुगतान वाउचर में अग्रिम भुगतान न

दर्शाकर सीमेन्ट क्रय खाते में व्यय डैबिट किया गया था जिसके फलस्वरूप वास्तविक इनवाईस प्राप्त होने पर अग्रिम भुगतान राशियों का समायोजन नहीं किया गया था। सामग्री प्राप्ति की वास्तविक इनवाईस व जी0आर0 के अनुसार कम व्यय होने पर शेष बची राशियों की वसूली नहीं की गई थी। सामग्री की वास्तविक प्राप्ति पर वास्तविक व्यय के आधार पर पूर्व में किये व्यय को समायोजित न करने के कारण निम्न विवरणानुसार ए0सी0सी0 बरमाणा को ₹15643/– का अधिक भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है।

| **क्र0सं0** | **भुगतान का विवरण** | | | **वास्तविक व्यय का विवरण** | | | **वसूली योग्य शेष राशि** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **वा0सं0** | **दिनांक** | **राशि** | **इनवाईस/जी0आर0नं0** | **दिनांक** | **राशि** | |
| 1 | 33 | 4.4.14 | 39188 | 1901425552 | 28.4.14 | 28308 | |
| | | | | जी0आर0सं0 005606729 | 28.4.14 | 4976 | |
| | | | | | | 33284 | 5904 |
| 2 | 939 | 24.9.14 | 42970 | 1901493443 | 19.10.14 | 30593 | |
| | | | | जी0आर0सं0 0002717940 | 19.10.14 | 6018 | |
| | | | | | | 36611 | 6359 |
| 3 | 274 | 25.5.15 | 38707 | 0370039033 | 14.6.15 | 29828 | |
| | | | | जी0आर0नं0 0002802300 | 14.6.15 | 5499 | |
| | | | | | | **35327** | **3380** |
| | | | | **कुल वसूली योग्य राशि** | | | **15643** |

उपरोक्त ₹15643/– की वसूली हेतु ए0सी0सी0 बरमाणा के साथ पत्राचार करके वसूली सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में सीमेन्ट क्रय करते समय प्रोफार्मा इनवाईस के आधार पर अग्रिम भुगतान करके वास्तविक सामग्री की प्राप्ति पर ईनवाईस व जी0आर0 के आधार पर अग्रिम राशि समायोजित की जानी सुनिश्चित की जाए।

**21 नगर परिषद हमीरपुर के विभिन्न वार्डों की सफाई व्यवस्था हेतु किये गये अनुबन्ध एवं किये गये भुगतान में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–**

**(क)** नगर परिषद हमीरपुर की विभिन्न वार्डों की सफाई के सम्बन्ध में टैण्डर नोटिस संख्या MCH/Sanitation/2013-14-2174-2178 दिनांक 20.7.2013 द्वारा टैण्डर आमन्त्रित किये गये

थे। टैण्डर नोटिस के अनुसार ₹265000/– अनुमानित राशि दर्शाई गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार था।

| क्र0सं0 | मद सं0 | अनुमानित राशि |
|---|---|---|
| (i) | Sanitation of MC Hamirpur on Contact basis by engaging safai karamchari to cleaness of Drains, Nallah, Sanitation in ward No. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| (ii) | Sagrigation of garbage at solid waste management plant at Dagnari (5 No.) | |
| (iii) | Providing of Labour for Litting the garbage from Hamirpur city to S.W.M. at Bajuri in M.C. vehicle (2 No. | |

उपरोक्त टैण्डर नोटिस के विरूद्ध प्राप्त निविदाओं के आधार पर पत्र संख्या 1 जे/2537/एमसी दिनांक 17.8.2013 द्वारा श्री रूप लाल सुपुत्र श्री बाबू राम को दिनांक 1.6.2013 से 31.5.2014 तक ₹280000/– में कार्य आबंटित किया गया था। उपरोक्त कार्य आंबटन में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

**(1)** कार्य की अनुमानित ₹265000 थी तथा संविदाकार द्वारा भरी गई न्यूनतम दर ₹280000/– थी। संविदाकार को ₹280000/– में कार्य आंबटित किया गया था। संविदाकार के साथ नैगोशिएशन करके उसे कार्य आंबटित किया जाना आपेक्षित था लेकिन संविदाकार के साथ बिना नैगोसिएशन के ही उसे अनुमानित राशि से अधिक राशि पर कार्य आंबटित किया गया था।

**(2)** अनुमान की मद संख्या 1 में सफाई कर्मचारियों की संख्या नहीं दर्शाई गई थी। कर्मचारियों की संख्या के बिना अनुमानित राशि व भुगतान राशि को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

**(3)** संविदाकार के साथ कोई भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था।

**(4)** कार्य के विस्तृत अनुमान से सम्बन्धित अभिलेख जिनके आधार पर कार्य का अनुमान तैयार किया गया था लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

**(5)** संविदाकारों से प्रतिभूति ₹10000/–प्रति संविदाकार प्राप्त नहीं की गई थी।

**(6)** कार्य आंबटन से सम्बन्धित जस्टीफिकेशन अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं की गई।

**(7)** कार्य का आंबटन अवधि 1.6.2013 से 31.5.2014 तक किया गया था जबकि कार्य करने सम्बन्धित टैन्डर दिनांक 20.7.2013 को आमन्त्रित किया गया था तथा कार्य दिनांक 17.8.2013

को आंबटित किया गया था। जो यह दर्शाता है कि यह पहले ही निश्चित था कि कार्य किस संविदाकार को आबंटित करना है जिसके अनुसार संविदाकार के साथ मिलिभगत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

(ख) नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नं0 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 की अवधि 1.9.2014 से 31.8.2015 तक की सफाई/अन्य कार्य हेतु दिनांक 22.7.2014 को टैण्डर आमन्त्रित किए गये थे जिसके अनुसार अनुमानित ₹281000/– थी। संविदाकारों द्वारा दी गई दरो पर नैगोसिएशन के पश्चात श्री रूप लाल संविदाकार को ₹293300/– में कार्यालय आंबटन पत्र संख्या 1 जे/1680/MCH/2014 दिनांक 5.8.2014 द्वारा कार्य आंबटित किया गया था जिसका अवलोकन करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई।

**(1)** कार्य की मद संख्या 1 में यह भी दर्शाया गया था कि वार्ड नं0 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 की सफाई व्यवस्था हेतु कितने कर्मचारी चाहिए थे। कर्मचारियों की संख्या के अभाव में उपरोक्त मद की दरों को सत्यापित नहीं किया जा सकता।

**(2)** संविदाकारों से प्राप्त प्रतिभूति राशि की प्राप्ति के सम्बन्ध में अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

**(3)** कार्य का विस्तृत अनुमान व कार्य आंबटन से सम्बन्धित जस्टीफिकेशन अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई।

**(4)** भुगतान वाउचरों के साथ कर्मचारियों की उपस्थिति से सम्बन्धित चार्ट नहीं लगाया गया था।

**(ग)** नगर परिषद हमीरपुर की अवधि 1.1.2016 से 31.12.2016 तक सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य हेतु दिनांक 23.10.2015 को टैण्डर आमन्त्रित किये गये थे। टैण्डर में दर्शाई गई मदों एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्न प्रकार से था।

| **क्र0सं0** | **कार्य का विवरण** | **सफाई कर्मचारियों की सं0** | **धरोहर राशि** | **निविदा शुल्क** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नं0 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 व 11 से सम्बन्धित सफाई कार्य करना | 45 | 40000 | 100 |
| 2 | सालेड बेस्ट प्लाट दगनेरी में सैग्रीगेशन कार्य | 6 | 25000 | 100 |
| 3 | गाडियों के लिए सफाई कर्मचारी | 3 | 5000 | 100 |
| 4 | वार्ड नं0 1 से 11 माली व सालेड वेस्ड | 2 | 10000 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | मैनेजमैन्ट के लिए सफाई कर्मचारी<br>मैन बाजार गाड़ी के साथ डोर टू डोर कूड़ा इकटठा करने हेतु कर्मचारी | 2 | 10000 | 100 |
| | | | **100000** | **500** |

उपरोक्त कार्य के चार संविदाकारों सर्व श्री रूप लाल, प्रकाश चन्द, रवि कुमार व श्री विशाल द्वारा टैण्डर फार्म क्रय किए गये थे जिसमें रवि कुमार के अतिरिक्त तीन संविदाकारों द्वारा दरें भरी गई व श्री रूप लाल की दरें न्यूनतम पाये जाने पर उन्हें पत्र संख्या 1 जे/3340/एम0सी0एच/2015 दिनांक 4.11.2015 द्वारा अवधि 1.1.2016 से 31.12.2016 तक उपरोक्त कार्य निम्न दरों पर आंबटित किया गया।

| क्र0सं0 | आंबटित राशि |
|---|---|
| 1 | 280650 |
| 2 | 38000 |
| 3 | 19300 |
| 4 | 13700 |
| 5 | 12400 |
| **जोड़** | **364050** |

**उपरोक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–**

**(1)** टैण्डर में किसी भी कार्य की अनुमानित राशि नहीं दर्शाई गई थी। किस आधार पर टैण्डर आमन्त्रित किये गये स्वीकृत किये गये व कार्य आंबटित किया गया। अभिलेखों में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया था न ही कार्य आंबटन की जस्टीफिकेशन दिखाई गई।

**(2) ₹1600/– की कम वसूलीः–**

संविदाकारों द्वारा टैण्डर अनुसार 5 कार्यों के लिए ₹500 में टैण्डर फार्म प्राप्त किए जाने थे जबकि संविदाकारों से मात्र ₹100 प्रति संविदाकार प्राप्त किये गये थे जिसके अनुसार चार संविदाकारों से ₹400 प्रति संविदाकार ₹1600 कम प्राप्त किये गये थे जिनकी उचित स्त्रोत से वसूली करके नगर परिषद निधि में जमा किया जाए।

**(3)** संविदाकारों से टैण्डर नोटिस के अनुसार ₹100000 प्रति संविदाकार प्रतिभूति राशि प्राप्त की जानी थी। प्रतिभूति राशि प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये।

**(4)** टैण्डर ओपनिंग रजिस्टर, टैण्डर फार्म सेल रजिस्टर लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुये अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

## 22 परिषद द्वारा बिजली के सामान ₹7.86 लाख की खरीद में पारदर्शिता लाने बारे तथा पुराने बदले गये बिजली के सामान का अनुपयोगी स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक इन्द्राज न करने बारेः—

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा निम्न विवरणानुसार परिषद द्वारा ₹785509/— का बिजली का सामान परिषद में बिजली की सुविधा को सुचारू रूप में प्रदान करने हेतु खरीदा गया। बिजली के विभिन्न मेक के सामान अर्थात एंकर, बजाज क्रोमटन, ओसराम इत्यादि के सामान की खरीद हेतु विभिन्न फर्मों से निविदाओं के आधार पर परिषद द्वारा खरीद की प्रक्रिया अपनाई जा रही है परन्तु आमन्त्रित की गई निविदाओं में किसी भी फर्म द्वारा किस मेक के बिजली के सामान की दरें अंकित की गई है उनका कोई उल्लेख नहीं किया जाता और न ही परिषद द्वारा आपूर्ति आदेश जारी करते समय यह उल्लेख किया जाता है कि अमूक फर्म द्वारा निर्धारित दर पर किस मेक का सामान परिषद को सप्लाई किया जाना है जबकि विभिन्न मेक के सामान की दरों में भारी अन्तर होता है। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा प्राप्त किये गये बिजली के सामान के बिलो पर तथा स्टॉक रजिस्टरों पर भी निश्चित मेक का वर्णन नहीं होता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिससे प्राप्त बिजली के सामान की गुणवता तथा भुगतान की गई राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती है। अतः अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि निविदाऐं आमंत्रित करते हुए तथा आपूर्ति आदेशों को जारी करते समय भी निश्चित मेक के बिजली के सामान का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा निश्चित मेक के बिजली के सामान की न्यूनतम दरों को मुख्य उत्पादक (Main Manufacture) की मूल्य सूची से मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि बिजली के सामान की खरीद में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके अतिरिक्त परिषद द्वारा समय—समय पर पुराना बिजली के सामान को बदला जाता है परन्तु बदले गये कीमती सामान का स्टॉक में इन्द्राज अनुपयोगी स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया जाता है। अतः बदले गए पुराने सामान का इन्द्राज अनुपयोगी स्टॉक रजिस्टर में किया जाना सुनिश्चित बनाया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि परिषद के विभिन्न बोर्डों में लगाये गये बिजली के सामान के खपत रजिस्टर को कार्यकारी अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जा रहा है। अतः

सम्बन्धित अभिलेख को सत्यापित करवाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

| क्र0सं0 | दिनांक | वा0सं0 | फर्म का नाम | राशि (₹) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4.14 | 65 | मै0 शर्मा लाईट हाऊस हमीरपुर | 276368 | बिजली का सामान |
| 2 | 21.1.16 | 1549 | मै0 हिमाचल ट्रेडिंग कम्पनी हमीरपुर | 377081 | –यथोपरि– |
| 3 | 29.1.16 | 1626 | मै0 कालिया इन्टरप्राईजिज हमीरपुर | 132060 | –यथोपरि– |
| | | | **कुल योग** | **₹785509** | |

## 23 (क) औसत तेल की खपत का निर्धारण न करनाः–

नगर परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया जबकि नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष औसत तेल की खपत निर्धारित की जानी अपेक्षित होती है तथा निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी टैस्ट चैक (जो भी पहले हो) तक बनाये रखना आपेक्षित होता है। अतः वाहनों की औसत तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस सन्दर्भ में आपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दर्शाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित औसत वास्तविक खपत से कम पाई जाती है तो अधिक तेल की खपत की गणना परिषद स्तर पर करके आपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाये।

## (ख) वाहन संख्या एच0पी0 22–6761 की लॉग बुक (Log Book) अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत न करने बारेः–

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 की जाँच के दौरान वाहन संख्या एच0पी0 22–6761 (थ्री व्हीलर) की लॉग बुक आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि परिषद द्वारा उक्त वाहन का प्रयोग परिषद के कार्यों हेतु किया गया था। चयनित मासों में वाहन पर निम्न विवरणानुसार ₹8903/– का व्यय परिषद द्वारा वाहन के डीजल तेल व अन्य कार्यों पर किया गया था परन्तु लॉग बुक के अभाव में इन व्ययों की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण के दौरान लॉग बुक को आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

| क्र0सं0 | दिनांक | वा0सं0 | फर्म का नाम | फर्म बिल न0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.4.2014 | 141 | मै0 शर्मा इन्टर–नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी हमीरपुर | 00802 | 6276 |
| 2 | 7.1.16 | 1497 | मै0 मिलखी राम एण्ड सन्ज हमीरपुर | 25941 | 1492 |
| 3 | 7.1.16 | 1497 | –यथोपरि– | 26395 | 756 |
| 4 | 7.1.16 | 1497 | –यथोपरि– | 26647 | 379 |
| | | | | **कुल योग** | **₹8903** |

**(ग) वाहन संख्या एच0पी0 22–0313 के डीजल तेल की मासिक खपत विवरणिका में अन्तर के बारेः–**

नगर परिषद हमीरपुर के वाहन संख्या एच0पी0–22–0313 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.8.2014 को पेज संख्या 101 पर कुल डीजल तेल का अन्तशेष 1 लीटर बकाया दर्शाया गया। वाहन में दिनांक 2.9.2014 से 21.9.2014 तक 230 लीटर डीजल तेल भरवाया गया। अतः दिनांक 30.9.2014 तक वाहन में कुल 231 लीटर बनता है परन्तु सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक में माह 9/2014 के मासिक तेल खपत विवरणिका के पेज नं0 106 में कुल डीजल तेल 221 लीटर दर्शाया गया है। इस प्रकार (231–221=10 लीटर) डीजल तेल लॉग बुक में कम दर्ज दर्शाया गया। अतः लॉग बुक में कम डीजल तेल दर्ज दर्शाने का औचित्य स्पष्ट करें तथा चूककर्ता से 10 लीटर डीजल तेल राशि की वसूल करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

**24 लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों पर ₹0.16 लाख के अनियमित व्यय बारेः–**

नगर परिषद हमीरपुर के अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के चयनित माह के व्यय वाऊचरों का सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार विज्ञापन छपवाने पर ₹15840/– का व्यय किया गया था। परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार विज्ञापन DAVP दरों पर एवं हिमाचल प्रदेश लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने आपेक्षित थे परन्तु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों की अवहेलना करके विज्ञापनों को सीधे समाचार पत्रों में उच्च दरो पर छपवाया गया था जोकि सरकार के निर्देशों की उल्लंघना है। अतः उक्त अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए या फिर इस अनियमितता के कारण हुई वित्तीय

हानि पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परिषद निधि की भरपाई उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

| क्र0सं0 | वा0सं0 व दिनांक | विज्ञापन की ऐजेन्सी का नाम | बिल नं0 व दिनांक | विज्ञापन का उद्देश्य | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73/11.4.14 | पृथ्वी लोक (साप्ताहिक पत्रिका) | 0538/20.2.14 | गृहकर छूट से सम्बन्धित सूचना | 1500 |
| 2 | 97/17.4.14 | हिमाचल केसरी प्रकाशन | 837/7.2.13 | निर्माण कार्यों से सम्बन्धित | 3840 |
| | | हिमाचल केसरी प्रकाशन | 747/27.7.13 | –यथोपरि– | 1500 |
| 3 | 1601/28.1.16 | दैनिक भास्कर प्रकाशन | 52839/10.11.2015 | परिषद की विभिन्न योजनाओं की जानीकारी से सम्बन्धित | 9000 |
| | | | | **कुल योग** | **₹15840** |

## 25 विद्युत उपयोग कर की वसूली न करनाः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1)–9/94 दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन नगर परिषद हमीरपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2016 के लिए विद्युत उपयोग कर की वसूली विद्युत विभाग से नहीं की गई है। अतः सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित अभिलेख तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर पड़ताल/जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 26 मोबाईल टावरों की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क ₹2.90 लाख की वसूली न करनाः–

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा रिहायशी एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टावर स्थापित किये गये है जिनका ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (त)** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या HIM/TP/PJT/Vol-1x/06.8695.8760 दिनाँक 16.10.2006 द्वारा निर्धारित स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क की बकाया ₹290000/– की वसूली परिषद द्वारा

विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से लम्बित है। अतः इन मोबाईल कम्पनियों से उक्त राशि की वसूली करने के उपरान्त नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 27 सिनेमा व वीडियों घरों से प्राप्त फिल्म प्रदर्शन टैक्स (Show tax) का अभिलेख तैयार न करने बोरः–

नगर परिषद हमीरपुर के लेखों अवधि 4/2014 से 3/2016 के दौरान जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा हमीरपुर शहर में विभिन्न सिनेमा हालों व वीडियों घरों से सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0डी0 (1) 9/94 खण्ड–4 दिनाँक 13.12.2000 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार फिल्म प्रदर्शन (Show tax) की वसूली की गई है परन्तु प्राप्त राशि का अभिलेख तैयार नहीं किया गया है जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि परिषद सीमा क्षेत्र में चल रहे सभी सिनेमा हालों/वीडियो घरों से प्रदर्शन कर की वसूली कर ली गई है अथवा नहीं? अतः परिषद उपरोक्त अभिलेख को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

## 28 वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करनाः–

नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 66 व 67 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के करों की वसूली की जा रही है। इसी प्रकार विभिन्न मदों पर व्यय भी किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा आय व व्यय के लिए मदवार पृथक–2 लेखा शीर्षों के अन्तर्गत खाता बहियाँ तैयार नहीं की गई थी। मदवार खाता बहियाँ तैयार नहीं होने की स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि एक निश्चित अवधि में विभिन्न मदों में आय व व्यय की कितनी माँग थी, कितनी प्राप्ति व व्यय हुआ तथा एक निश्चित तिथि को कितनी राशि वसूली अथवा भुगतान हेतु शेष थी। अतः अनुपालना हेतु सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक आय व्यय मद की खाता बहियाँ तैयार की जाए ताकि किसी भी प्रकार की कम अथवा अधिक प्राप्ति/व्यय की सम्भावना को रोका जा सके तथा प्रत्येक मद के सही आंकडे एक नजर में जाँचे जा सके। कृत कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 29 स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 में विहित प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी

अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करेगें तथा इसका मिलान अभिलेख के अनुसार शेष से करेगें और अन्तर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगें। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई थी जोकि वर्णित प्रावधानों की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अतः परिषद द्वारा नियमानुसार प्रत्येक वर्ष स्टोर/स्टॉक का नियमित भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**30 लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**31 निष्कर्षः—** लेखाओं के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)(22) खण्ड—7—1149—1150 दिनांकः 20.02. 2017, शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002,

**पंजीकृतः—**2. कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता/—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

## परिशिष्ट (क) पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

**गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पड़े अनिर्णीत पैरों में की गई कार्यवाही के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–**

**(1) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/75 से 03/81**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 12 (सी) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 15 (1, 2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 27 | अनिर्णीत |

**(2) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/81 से 03/82**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 35 (डी) | अनिर्णीत |

**(3) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/82 से 03/85**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 17 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 29 (ए0, बी0) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 30 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 31 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 35 | अनिर्णीत |

**(4) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/85 से 03/87**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 (सी0, डी0, ई0) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 20 (i) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 21 (i to xiii) | आंशिक निर्णीत |

**(5) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/87 से 03/89**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 5 (ई) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 25 | अनिर्णीत |

**(6) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/90**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 (10) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 11 (ई) | अनिर्णीत |

**(7) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/93**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 12 (8) | अनिर्णीत |

**(8) लघु आपत्ति विवरणिका**

| **अवधि** | **मद संख्या** |
|---|---|
| 4/66 से 3/70 | 1 (सी0, डी0), 2 से 12 |
| 4/70 से 3/73 | 1 से 21 |
| 4/73 से 3/75 | 2, 3, 8, 9 (2) |
| 4/75 से 3/81 | 6 (एच), 7(1 से 7) 7 (9, 10) |

**(9) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/99**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 7 (ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 7 (ग) | आंशिक निर्णीत |
| 3 | पैरा 7 (घ) | आंशिक निर्णीत |
| 4 | पैरा 10 (5) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 12 (क) | अनिर्णीत |

**(10) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2006**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 4 (क) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4 (ख) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 6 (1) (क) | समाप्त (अनुपालना की समीक्षा उपरान्त) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | पैरा 6 (1) (ख) | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा 6 (1) (ग) | अनिर्णीत | |
| 7 | पैरा 6 (1) (घ) | समाप्त | (₹3000 को वर्ष 2005–06 में शामिल कर लिया गया था जिसकी वसूली कर ली गई है) |
| 8 | पैरा 6 (1) (ङ) | निर्णीत | (₹70 की वसूली सम्बन्धित रजिस्टर पेज नं0 11 पर कर ली गई है) |
| 9 | पैरा 6 (1) (च) | अनिर्णीत | |
| 10 | पैरा 6 (2) | अनिर्णीत | |
| 11 | पैरा 6 (3) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 6 (4) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 6 (5) | अनिर्णीत | |
| 14 | पैरा 6 (6) | अनिर्णीत | |
| 15 | पैरा 6 (7) | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 6 (8) (1) | अनिर्णीत | |
| 17 | पैरा 6 (8) (2) | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 6 (8) (3) | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 6 (9) | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 6 (10) | अनिर्णीत | |
| 21 | पैरा 7 (1) | अनिर्णीत | |
| 22 | पैरा 7 (5) | अनिर्णीत | |
| 23 | पैरा 7 (6) | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 7 (7) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 7 (8) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 7 (9) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 7 (11) | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 7 (13) | अनिर्णीत | |
| 29 | पैरा 7 (14) | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 7 (15) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | पैरा 7 (16) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 7 (17) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 7 (18) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 8 (1) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 8 (2) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 8 (3) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 8 (4) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 8 (5) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 8 (6) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 8 (7) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 8 (8) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 8 (9) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 8 (10) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 8 (11) (i) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 8 (11) (ii) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 8 (12) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 9 (क) (1) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 9 (क) (2) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 9 (क) (3) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 9 (क) (4) | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा 9 (क) (5) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 9 (क) (6) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा 9 (क) (7) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा 9 (क) (8) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा 9 (क) (9) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा 9 (क) (10) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा 9 (क) (11) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा 9 (क) (12) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा 9 (क) (13) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 60 | पैरा 9 (क) (14) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा 9 (क) (15) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा 9 (क) (16) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा 9 (1) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा 9 (2) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा 9 (3) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा 9 (4) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा 9 (5) | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा 9 (6) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा 9 (7) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा 9 (8) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा 9 (9) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा 9 (10) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा 9 (11) | अनिर्णीत |
| 74 | पैरा 9 (12) | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा 9 (13) | अनिर्णीत |
| 76 | पैरा 9 (14) (1, 2) | अनिर्णीत |
| 77 | पैरा 9 (15) | अनिर्णीत |
| 78 | पैरा 9 (16) | अनिर्णीत |
| 79 | पैरा 9 (17) | अनिर्णीत |
| 80 | पैरा 9 (18) | अनिर्णीत |
| 81 | पैरा 9 (19) | अनिर्णीत |
| 82 | पैरा 9 (20) (1 से 4) | अनिर्णीत |
| 83 | पैरा 9 (21) (1 से 4) | अनिर्णीत |
| 84 | पैरा 9 (22) | अनिर्णीत |
| 85 | पैरा 9 (23) | अनिर्णीत |
| 86 | पैरा 9 (24) | अनिर्णीत |
| 87 | पैरा 9 (25) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 88 | पैरा 9 (26) | अनिर्णीत |
| 89 | पैरा 9 (27) (1 से 9) | अनिर्णीत |
| 90 | पैरा 9 (28) | अनिर्णीत |
| 91 | पैरा 9 (29) | अनिर्णीत |
| 92 | पैरा 10 (i to vii) | अनिर्णीत |
| 93 | पैरा 10 (1) (क) | अनिर्णीत |
| 94 | पैरा 10 (1) (ख) | अनिर्णीत |
| 95 | पैरा 10 (1) (ग) (घ) | अनिर्णीत |
| 96 | पैरा 10 (2) (क) | अनिर्णीत |
| 97 | पैरा 10 (2) (ख) | अनिर्णीत |
| 98 | पैरा 10 (2) (ग) | अनिर्णीत |
| 99 | पैरा 10 (2) (घ) | अनिर्णीत |
| 100 | पैरा 10 (2) (ङ) | अनिर्णीत |
| 101 | पैरा 10 (3) (क) (1) | अनिर्णीत |
| 102 | पैरा 10 (3) (क) (2) | अनिर्णीत |
| 103 | पैरा 10 (3) (क) (3) | अनिर्णीत |
| 104 | पैरा 10 (3) (क) (4) | अनिर्णीत |
| 105 | पैरा 10 (4) | अनिर्णीत |
| 106 | पैरा 10 (5) | अनिर्णीत |
| 107 | पैरा 10 (6) | अनिर्णीत |
| 108 | पैरा 10 (7) | अनिर्णीत |
| 109 | पैरा 10 (8) | अनिर्णीत |
| 110 | पैरा 10 (9) | अनिर्णीत |
| 111 | पैरा 10 (10) | अनिर्णीत |
| 112 | पैरा 11 (1) | अनिर्णीत |
| 113 | पैरा 11 (2) | अनिर्णीत |
| 114 | पैरा 11 (3) | अनिर्णीत |
| 115 | पैरा 11 (4) | अनिर्णीत |
| 116 | पैरा 11 (5) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 117 | पैरा 11 (6) | अनिर्णीत |
| 118 | पैरा 12 (1) | अनिर्णीत |
| 119 | पैरा 12 (2) | अनिर्णीत |
| 120 | पैरा 12 (3) | अनिर्णीत |
| 121 | पैरा 12 (4) | अनिर्णीत |
| 122 | पैरा 12 (5) | अनिर्णीत |

**(11) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2007**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4 (i) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 4 (ii) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4 (iii) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4 (iv) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 4 (v) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 4 (vi) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 4 (vii) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 4 (viii) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 4 (ix) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 4 (x) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 4 (xi) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 4 (xii) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 4 (xiii) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 5 (i) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 5 (ii) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 5 (iii) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 5 (iv) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 5 (v) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 5 (vi) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 6 (i) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 22 | पैरा 6 (ii) | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 6 (iii) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 6 (iv) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 6 (v) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 6 (vi) | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 6 (vii) | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 6 (viii) | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 6 (ix) | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 6 (x) | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 7 (i) | अनिर्णीत |
| 32 | पैरा 7 (ii) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 7 (iii) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 7 (iv) | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 7 (v) | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 7 (vi) | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 7 (vii) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 7 (viii) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 7 (ix) | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 7 (x) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 7 (xi) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 7 (xii) | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 7 (xiii) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 7 (xiv) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 7 (xv) | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 7 (xvi) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा 8 (i) | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 8 (ii) | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 8 (iii) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 8 (iv) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 51 | पैरा 8 (v) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 8 (vi) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा 8 (vii) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा 10 | अनिर्णीत |

**(12) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 2 (ख) (1) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 2 (ख) (2) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 2 (ग) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 3 (ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 3 (ग) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 3 (घ) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 3 (ङ) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 3 (च) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 3 (छ) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 3 (ज) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 3 (झ) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 4 (क) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 4 (ख) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 4 (ग) (1) (2) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 4 (घ) (1) | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 4 (घ) (2) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 4 (घ) (3) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 4 (ङ) (1) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 4 (ङ) (2) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 4 (ङ) (3) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 4 (ङ) (4) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 4 (च) (1)(2) | अनिर्णीत |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | पैरा 4 (च) (3) | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 4 (छ) (1) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 4 (छ) (2) | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 4 (ज) (1) (2) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 4 (ज) (3) (4) | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 4 (झ) | अनिर्णीत | |
| 29 | पैरा 4 (ञ) | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 4 (ज) | अनिर्णीत | |
| 31 | पैरा 5 (क) | अनिर्णीत | |
| 32 | पैरा 5 (ख) | अनिर्णीत | |
| 33 | पैरा 5 (ग) | समाप्त | (₹4080 की वसूली रसीद संख्या 580／41 दिनांक 1.7.15 द्वारा कर ली गई है) |
| 34 | पैरा 6 (क) | अनिर्णीत | |
| 35 | पैरा 6 (ख) | अनिर्णीत | |
| 36 | पैरा 6 (ग) | अनिर्णीत | |
| 37 | पैरा 6 (घ) | अनिर्णीत | |
| 38 | पैरा 6 (छ) (1) | अनिर्णीत | |
| 39 | पैरा 6 (छ) (2) | अनिर्णीत | |
| 40 | पैरा 6 (छ) (3) | अनिर्णीत | |
| 41 | पैरा 6 (ज) (1) | अनिर्णीत | |
| 42 | पैरा 6 (ज) (2) | अनिर्णीत | |
| 43 | पैरा 6 (ट) | अनिर्णीत | |
| 44 | पैरा 6 (ढ) (1) | अनिर्णीत | |
| 45 | पैरा 6 (ढ) (2) | अनिर्णीत | |
| 46 | पैरा 6 (थ) | अनिर्णीत | |
| 47 | पैरा 6 (द) | अनिर्णीत | |
| 48 | पैरा 6 (ध) | अनिर्णीत | |
| 49 | पैरा 7 (क) | अनिर्णीत | |
| 50 | पैरा 7 (ख) | अनिर्णीत | |

| | | |
|---|---|---|
| 51 | पैरा 7 (ग) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 7 (घ) | अनिर्णीत |
| 53 | पैरा 7 (ङ) | अनिर्णीत |
| 54 | पैरा 7 (च) (1) | अनिर्णीत |
| 55 | पैरा 7 (च) (2) | अनिर्णीत |
| 56 | पैरा 7 (च) (3) | अनिर्णीत |
| 57 | पैरा 7 (छ) | अनिर्णीत |
| 58 | पैरा 7 (ज) | अनिर्णीत |
| 59 | पैरा 7 (झ) | अनिर्णीत |
| 60 | पैरा 7 (ठ) | अनिर्णीत |
| 61 | पैरा 7 (ङ) | अनिर्णीत |
| 62 | पैरा 7 (ण) | अनिर्णीत |
| 63 | पैरा 7 (त) | अनिर्णीत |
| 64 | पैरा 7 (द) (1) | अनिर्णीत |
| 65 | पैरा 7 (द) (2) | अनिर्णीत |
| 66 | पैरा 7 (द) (3) | अनिर्णीत |
| 67 | पैरा 7 (द) (4) | अनिर्णीत |
| 68 | पैरा 7 (ध) | अनिर्णीत |
| 69 | पैरा 7 (न) | अनिर्णीत |
| 70 | पैरा 8 (क) (1) | अनिर्णीत |
| 71 | पैरा 8 (क) (2) | अनिर्णीत |
| 72 | पैरा 8 (ख) | अनिर्णीत |
| 73 | पैरा 10 (क) | अनिर्णीत |
| 74 | पैरा 10 (ख) | अनिर्णीत |
| 75 | पैरा 10 (ग) | अनिर्णीत |

**(13) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 (1) (2) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 4 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | पैरा 4 (1) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 4 (2) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 4 (3) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 4 (4) | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा 4 (5) | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 4 (6) | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 4 (7) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 4 (8) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 4 (9) (1) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 4 (10) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 4 (11) | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 4 (12) | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 8 | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 8 (1) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 9 | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 9 (1) | अनिर्णीत |
| 22 | पैरा 10 | अनिर्णीत |
| 23 | पैरा 11 (1) | अनिर्णीत |
| 24 | पैरा 11 (2) | अनिर्णीत |
| 25 | पैरा 11 (3) | अनिर्णीत |
| 26 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 27 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 28 | पैरा 14 | अनिर्णीत |
| 29 | पैरा 15 | अनिर्णीत |
| 30 | पैरा 16 | अनिर्णीत |
| 31 | पैरा 17 (1) | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 32 | पैरा 17 (2) | अनिर्णीत |
| 33 | पैरा 17 (3) (क) | अनिर्णीत |
| 34 | पैरा 18 | अनिर्णीत |
| 35 | पैरा 19 | अनिर्णीत |
| 36 | पैरा 20 | अनिर्णीत |
| 37 | पैरा 20 (1) | अनिर्णीत |
| 38 | पैरा 20 (2) | अनिर्णीत |
| 39 | पैरा 21 | अनिर्णीत |
| 40 | पैरा 21 (1) | अनिर्णीत |
| 41 | पैरा 21 (2) | अनिर्णीत |
| 42 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 43 | पैरा 22 (1) | अनिर्णीत |
| 44 | पैरा 22 (2) | अनिर्णीत |
| 45 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 46 | पैरा 23 (1) | अनिर्णीत |
| 47 | पैरा–24 | अनिर्णीत |
| 48 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 49 | पैरा 25 (1) | अनिर्णीत |
| 50 | पैरा 26 | अनिर्णीत |
| 51 | पैरा 26 (1) | अनिर्णीत |
| 52 | पैरा 27 | अनिर्णीत |

**(14) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | पैरा 8 (ख) | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा 8 (ग) | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा 9 (क) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा 9 (ख) | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा 9 (ग) | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा 10 | अनिर्णीत |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | पैरा 12 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा 13 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा 18 (ख) | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा 19 (क) | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा 19 (ख) | अनिर्णीत |
| 12 | पैरा 20 (ख) | अनिर्णीत |
| 13 | पैरा 22 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा 23 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा 25 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा 26 (क) | अनिर्णीत |
| 17 | पैरा 26 (ख) | अनिर्णीत |
| 18 | पैरा 26 (ग) | अनिर्णीत |
| 19 | पैरा 26 (घ) | अनिर्णीत |
| 20 | पैरा 27 (क) | अनिर्णीत |
| 21 | पैरा 27 (ख) (i) (ii) | अनिर्णीत |

**(15) अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पैरा 3 | समाप्त | (अंकेक्षण शुल्क की ₹36500/—चैक संख्या 050100 दिनांक 23.8.2014 को जमा कर दी गई है) |
| 2 | पैरा 4 | समाप्त | (सूचनार्थ) |
| 3 | पैरा 5 (क) | समाप्त | (सूचनार्थ) |
| 4 | पैरा 5 (ख) | समाप्त | (स्पष्टीकरण के आधार पर) |
| 5 | पैरा 6 | समाप्त | (₹3600 रसीद संख्या 26/421 द्वारा दिनांक 5.8.2014 को जमा कर दिये गये है) |
| 6 | पैरा 7 | समाप्त | (₹700 रसीद संख्या 730/4 दिनांक 23.8.2016 द्वारा जमा कर दिये गये है) |
| 7 | पैरा 8 (क) | समाप्त | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है) |
| 8 | पैरा 8 (ख) | समाप्त | (अनुपालना की समीक्षा उपरान्त) |
| 9 | पैरा 9 | समाप्त | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | पैरा 9 (क) | आंशिक/निर्णीत अंशत | (₹122739 में से ₹5850 की वसूली कर ली गई है। ₹116889 की वसूली शेष है) |
| 11 | पैरा 9 (ख) | अनिर्णीत | |
| 12 | पैरा 9 (ग) | अनिर्णीत | |
| 13 | पैरा 10 | अंशतः निर्णीत | (श्री महेन्द्र कुमार व श्री महेन्द्र पाल से ₹5600 की वसूली शेष है।) |
| 14 | पैरा 11 | समाप्त | (₹9700 की वसूली माह 2/2015 के पैन्शन बिल से कर ली गई है) |
| 15 | पैरा 12 | अनिर्णीत | |
| 16 | पैरा 13 | समाप्त | (₹1392 की वसूली माह 1/2015 के वेतन से कर ली गई है) |
| 17 | पैरा 14 | अनिर्णीत | |
| 18 | पैरा 15 | अनिर्णीत | |
| 19 | पैरा 16 (क) | अनिर्णीत | |
| 20 | पैरा 16 (ख) | समाप्त | (₹548/-की वसूली रसीद संख्या 427/29 दिनांक 23.8.2014 को कर ली गई है) |
| 21 | पैरा 16 (ग) | समाप्त | (₹2661 की वसूली रसीद संख्या 427/30 दिनांक 23.8.2014 को कर ली गई है) |
| 22 | पैरा 16 (घ) | समाप्त | (₹8762 की वसूली रसीद संख्या 427/31 द्वारा कर ली गई है) |
| 23 | पैरा 17 | अनिर्णीत | |
| 24 | पैरा 17 (क) | अनिर्णीत | |
| 25 | पैरा 18 | अनिर्णीत | |
| 26 | पैरा 18 (क) | अनिर्णीत | |
| 27 | पैरा 18 (ख) | अनिर्णीत | |
| 28 | पैरा 19 | समाप्त | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है) |
| 29 | पैरा 20 | अनिर्णीत | |
| 30 | पैरा 21 | अनिर्णीत | |